



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-4, खण्ड (क)
(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, बुधवार, 8 जुलाई, 2009

आषाढ़ 17, 1931 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार
विकलांग कल्याण अनुभाग-3

संख्या 507/65-3-2009

लखनऊ, 8 जुलाई, 2009

अधिसूचना

सा०प०नि०-30

डा० शकुन्तला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय (भिन्नरूपेण योग्य हेतु) अधिनियम, 2009 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2009) की धारा 32 की उपधारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार डा० शकुन्तला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय (भिन्नरूपेण योग्य हेतु) की प्रथम परिनियमावली निम्नवत बनाती है।

डा० शकुन्तला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय (भिन्नरूपेण योग्य हेतु)
प्रथम परिनियमावली, 2009

अध्याय-एक

प्रारम्भिक

1.01-(1) यह परिनियमावली डा० शकुन्तला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय (भिन्नरूपेण योग्य हेतु) प्रथम परिनियमावली, 2009 कही जायेगी।

संक्षिप्त नाम और
प्रारम्भ

(2) यह तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त होगी।

परिभाषाएं

1.02—(1) जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस परिनियमावली में,—

(क) “अधिनियम” का तात्पर्य समय-समय पर यथा संशोधित डा० शकुन्तला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय (भिन्नरूपेण योग्य हेतु) प्रथम परिनियमावली, 2009 से है।

(ख) “किसी कर्मचारी की आयु” का तात्पर्य हाईस्कूल प्रमाण—पत्र या उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त किसी अन्य परीक्षा में यथा उल्लिखित किसी कर्मचारी के जन्म के दिनांक से अपेक्षित दिनांक तक परिगणित अवधि से है।

(ग) “कर्मचारी” का तात्पर्य विश्वविद्यालय के किसी कर्मचारी से है।

(घ) “धारा” का तात्पर्य अधिनियम की किसी धारा से है।

(2) इस परिनियमावली में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उनके लिए क्रमशः समनुदेशित हैं।

अध्याय—दो

कुलपति

कुलपति की
परिलब्धियाँ और
अन्य सेवा शर्तें

2.01—कुलपति की परिलब्धियाँ और अन्य सेवा शर्तें वहीं होंगी जो राज्य सरकार द्वारा या समय-समय पर राज्य सरकार के अनुमोदनाधीन सामान्य परिषद द्वारा अवधारित की जाय :

परन्तु यदि कुलपति किसी पेंशन वाले पद से सेवानिवृत्ति या अधिवर्षिता के पश्चात् पद धारण करता है तो राशीकरण से पूर्व उसके पेंशन की सकल धनराशि उसके वेतन और भत्तों में से कम कर दी जाएगी :

परन्तु यह और कि यदि वह किसी गैर पेंशन वाले पद से सेवानिवृत्ति या अधिवर्षिता के पश्चात् पद धारण करता है तो उसके वेतन और भत्ते अधिवर्षिता पर उसके द्वारा प्राप्त किये जाने वाले सेवानिवृत्ति सम्बन्धी सुविधाओं के समान होंगे :

परन्तु यह भी कि जहाँ ऐसा कुलपति किसी पेंशन योजना का कोई सदस्य रहा हो वहाँ विश्वविद्यालय ऐसी योजना में आवश्यक अंशदान करेगा।

2.02—कुलपति ऐसी दरों पर यात्रा भत्ता का हकदार होगा जैसी कार्य परिषद द्वारा नियत की जाय।

2.03—कुलपति एक कैलेण्डर वर्ष में 30 दिन की दर से पूर्ण वेतन का हकदार होगा और यह अवकाश उसके अवकाश खाता में प्रत्येक पन्द्रह दिन की दो छमाही किस्तों में प्रत्येक वर्ष जनवरी और जुलाई के प्रथम दिवस को जमा हो जायेगा :

परन्तु यह कि यदि कुलपति किसी छमाही की अवधि में पद धारण करता है या पद छोड़ता है तो सेवा के प्रत्येक पूर्ण माह के लिए ढाई दिन की दर से आनुपातिक रूप से अवकाश जमा होगा।

2.04—कुलपति एक कैलेण्डर वर्ष में बीस दिन की दर पर अर्द्ध वेतन अवकाश का भी हकदार होगा। इस अर्द्धवेतन अवकाश का उपभोग विकित्तीय आधार पर पूर्ण वेतन पर राशिकृत अवकाश के रूप में किया जा सकेगा जब भी राशिकृत अवकाश का उपभोग किया जाय तो अर्द्ध वेतन अवकाश के दोगुने के बराबर की राशि देय अर्द्ध वेतन अवकाश के सापेक्ष घटा दी जायेगी।

2.05—कुलपति ऐसे आवधिक लाभों और भत्तों का भी हकदार होगा जैसी कार्य परिषद द्वारा राज्य सरकार के अनुमोदन से समय-समय पर नियत की जाये।

2.06—यदि कुलपति बीमार या अन्य किसी कारण से अपने कर्तव्यों के सम्पादन में असमर्थ है तो कुलपति के कर्तव्यों का निर्वहन ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जायेगा जिसे राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किया जाय।

2.07—कुलपति—

कुलपति की अन्य शक्तियाँ और कृत्य

(क) कार्यपरिषद, विद्यापरिषद, वित्त समिति का पदेन अध्यक्ष होगा और कुलाध्यक्ष की अनुपस्थिति में दीक्षान्त समारोह की अध्यक्षता करेगा।

(ख) विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या किसी निकाय की किसी बैठक में उपस्थित होने और सम्बोधित करने का हकदार होगा परन्तु जब तक वह ऐसे प्राधिकरण या निकाय का सदस्य न हो, वह मतदान का हकदार नहीं होगा।

(ग) विश्वविद्यालय के मामलों पर नियंत्रण रखेगा और विश्वविद्यालय के सभी प्राधिकरणों के निर्णय को भी प्रभावी करायेगा।

(घ) को कार्यपरिषद, विद्यापरिषद और वित्त समिति की बैठक बुलाने या बुलवाने की शक्ति होगी।

2.08—कुलपति ऐसे व्यक्ति, जिसे वह उचित समझे, को शक्तियाँ प्रत्यायोजित कर सकेगा।

अध्याय—तीन

वित्त अधिकारी

3.01—वित्त अधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा सेवा के अधिकारियों में से की जायेगी और वित्त अधिकारी की शर्तें और निबन्धन राज्य सरकार की सम्बन्धित सेवा नियमावली के अनुसार शासित होंगे।

वित्त अधिकारी की सेवा की निबन्धन और शर्तें

वित्त अधिकारी राज्य सरकार के अनुशासनिक नियंत्रण के अधीन होगा

3.02—तथापि कार्य परिषद वित्त अधिकारी के विरुद्ध अनियमितता की रिपोर्ट या कार्यवाही की संस्तुति राज्य सरकार को कर सकेगी।

3.03—वित्त अधिकारी, वित्त समिति का पदेन सचिव होगा परन्तु वह ऐसी समिति का सदस्य नहीं समझा जायेगा।

3.04—कार्यपरिषद के नियंत्रण के अधीन, वित्त अधिकारी :—

वित्त अधिकारी की अन्य शक्तियाँ और कृत्य

(क) विश्वविद्यालय की सम्पत्ति और विनिवेशों तथा युक्त सम्पत्ति को रखेगा और अनुरक्षण करेगा;

(ख) यह सुनिश्चित करेगा कि एक वर्ष के लिए आवर्ती और अनावर्ती व्यय कार्य परिषद के द्वारा नियत की गयी सीमाओं से अधिक न हो और समस्त धनराशि उसी प्रयोजन पर व्यय की जाये जिसके लिए वह स्वीकृत या आवंटित की गयी है;

(ग) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखों और बजट को तैयार कराने के लिए और कार्यपरिषद को इसे प्रस्तुत करने का उत्तरदायी होगा;

(घ) नगदी और बैंक बैलेंस की स्थिति तथा विनिवेश की स्थिति पर निरंतर निगरानी रखेगा;

(ङ) राजस्व के संग्रह की प्रगति पर निगरानी रखेगा और संग्रह करने की तरीकों पर परामर्श देगा;

(च) अप्राधिकृत व्यय और अन्य वित्तीय अनियमितताओं को कुलपति की जानकारी में ले आयेगा और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही का सुझाव देगा;

(छ) विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित किसी कार्यालय, केन्द्र, प्रयोगशाला या संस्था से कोई भी सूचना या विवरणी मांगेगा जिन्हें वह अपने कर्तव्यों के सम्पादन के लिए आवश्यक समझे।

3.05—वित्त अधिकारी या विश्वविद्यालय द्वारा इस निमित्त सम्यक रूप से प्राधिकृत किसी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा विश्वविद्यालय को संदेश किसी धनराशि के लिए गयी प्राप्ति ऐसी धनराशि के भुगतान की पर्याप्त अदायगी होगी।

अध्याय-चार**कुल सचिव**

कुल सचिव की सेवा
की निबन्धन और
शर्तें

4.01-(1) कुलसचिव की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश विकलांग कल्याण विभाग राजपत्रित अधिकारी सेवा के उपयुक्त ऐसे अधिकारियों में से की जायेगी जो अधिनियम की धारा 30 की उपधारा (1) के अधीन यथा परिभाषित अनुभव और अर्हताएं पूरी करती हों और कुल सचिव की सेवा की शर्तें और निबन्धन समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश विकलांग कल्याण विभाग राजपत्रित अधिकारी सेवा नियमावली, 2002 के अनुसार शासित होगी।

(2) कुलसचिव राज्य सरकार के अनुशासनिक नियंत्रण के अधीन होगा। तथापि कार्य परिषद कुल सचिव के विरुद्ध अनियमितता की रिपोर्ट या कार्यवाही की संस्तुति उपयुक्त जाँच करने के पश्चात् राज्य सरकार को कर सकेगी।

(3) कुलसचिव को,-

कुलसचिव की अन्य
शक्तियाँ और कृत्य

4.02-(क) विश्वविद्यालय के अध्यापकों, अधिकारियों से भिन्न विश्वविद्यालय के समस्त कर्मचारियों पर अनुशासनिक नियंत्रण बनाये रखने की शक्ति होगी और उन्हें जाँच लम्बित रहने की अवधि में निलम्बित कर सकेगा, वह उन्हें चेतावनी दे सकेगा या ऐसे किसी कर्मचारी को निन्दा प्रविष्टि या उसकी वेतनवृद्धि रोकने का दण्ड अधिरोपित कर सकेगा। तथापि वह ऐसे कर्मचारी के विरुद्ध जाँच का आदेश देगा और कारण बताओं का अवसर प्रदान करेगा :

परन्तु यह कि कुलसचिव अधिकारी या प्राधिकारी, जिसके अधीन ऐसा कर्मचारी कार्यरत है, को सूचित करेगा।

(ख) विश्वविद्यालय की परीक्षाओं की, विहित रीति के अनुसार व्यवस्था करने और अधीक्षण करने की शक्ति होगी।

(ग) विश्वविद्यालय की ओर से या इसके विरुद्ध वादों या कार्यवाहियों में विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने, मुख्तारनाम पर हस्ताक्षर करने और अभिवचनों को सत्यापित करने या इस प्रयोजन के लिए अपना प्रतिनिधि प्रतिनियुक्त करने की शक्ति होगी।

अध्याय-पाँच**विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारी**

संकायों के
संकायाध्यक्ष

5.01-किसी संकाय के संकायाध्यक्ष की नियुक्ति कुलपति द्वारा संकाय के विभागों में आचार्यों में से तीन वर्ष की अवधि के लिए की जायेगी और वह पुनर्नियुक्त के लिए अर्ह होगा :

परन्तु यह कि संकाय के विभागों में यदि कोई आचार्य नहीं है तो संकायाध्यक्ष की नियुक्ति उपाचार्यों में से की जा सकेगी:

परन्तु यह भी कि कोई संकायाध्यक्ष बासठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर इस रूप में पद धारण करने से प्रविरत हो जायेगा :

परन्तु यह और कि यदि किसी समय संकाय में कोई संकायाध्यक्ष न हो तो कुलपति या कुलपति द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई संकायाध्यक्ष संकाय के संकायाध्यक्ष की शक्तियों का प्रयोग करेगा।

5.02-जब संकायाध्यक्ष का पद रिक्त हो या जब संकायाध्यक्ष रुग्णता, अनुपस्थिति या किसी अन्य कारण से अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो तो पद के कर्तव्यों का निर्वहन ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जायेगा जिसे कुलपति प्राधिकृत करें।

5.03-संकायाध्यक्ष संकाय का प्रमुख होगा और आचरण और संकाय में अध्यापन और शोध के स्तर को बनाये रखने का उत्तरदायी होगा और उसके ऐसे अन्य कृत्य होंगे जैसे विहित किये जायें।

5.04-संकायाध्यक्ष का यथास्थिति अध्ययन बोर्ड या संकायों की समितियों की किसी बैठक में उपस्थित रहने और बोलने का अधिकार होगा परन्तु उसे वहाँ मतदान का अधिकार नहीं होगा जब तक कि वह उसका सदस्य न हो।

5.05—ऐसे विभागों के मामले में जिनमें एक से अधिक आचार्य हों, विभागाध्यक्ष की नियुक्ति विभागों के अध्यक्ष आचार्यों में से कुलपति की संस्तुति पर कार्यपरिषद द्वारा की जायेगी:

परन्तु यह कि जहाँ विभाग में एक ही आचार्य है, तो वही उस विभाग का अध्यक्ष होगा।

5.06—ऐसे विभागों के मामले में जहाँ कोई आचार्य नहीं है, कार्यपरिषद कुलपति की संस्तुति पर किसी उपाचार्य को विभागाध्यक्ष नियुक्ति कर सकती है:

परन्तु यह कि कोई आचार्य या उपाचार्य विभागाध्यक्ष की नियुक्ति के प्रस्ताव को अस्वीकार करने के लिए स्वतंत्र होगा।

5.07—विभागाध्यक्ष के रूप में नियुक्त व्यक्ति तीन वर्ष की अवधि के लिये पद धारण करेगा और वह पुनर्नियुक्त के लिए अर्ह होगा।

5.08—कोई विभागाध्यक्ष अपनी पदावधि में किसी भी समय पद से त्याग-पत्र दे सकता है।

5.09—कोई विभागाध्यक्ष ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेगा जैसा विहित किया जाये।

5.10—कुलानुशासक की नियुक्ति कार्य परिषद द्वारा कुलपति की संस्तुति पर विश्वविद्यालय के अध्यापकों में से की जायेगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेगा जैसी कुलपति द्वारा उसे समनुदेशित की जाय। कुलानुशासक

5.11—कुलानुशासक ऐसी अवधि के लिए पद धारण करेगा जैसी कार्य परिषद द्वारा विनिर्दिष्ट की जाये और पुनर्नियुक्ति के लिए अर्ह होगा। कुलानुशासक अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन अध्यापक के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन अध्यापक के रूप में अपने कर्तव्यों के अतिरिक्त करेगा।

5.13—कुलानुशासक ऐसे मानदेय के लिए अर्ह होगा जैसा कुलपति द्वारा अवधारित किया जाय।

5.14—पुस्तकालयाध्यक्ष की नियुक्ति कार्य परिषद द्वारा इस प्रयोजन के लिए गठित चयन समिति की संस्तुति पर की जायेगी। वह विश्वविद्यालय का पूर्ण कालिक वैतनिक अधिकारी होगा।

5.15—पुस्तकालयाध्यक्ष ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का सम्पादन करेगा तथा उसकी ऐसी परिलब्धियाँ होंगी जैसी कि राज्य सरकार या कार्य परिषद द्वारा समय-समय पर राज्य सरकार के अनुमोदन के अधीन अवधारित की जाय। पुस्तकालयाध्यक्ष के सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी जैसी कार्य परिषद द्वारा अवधारित की जाय।

अध्याय—छ:

विश्वविद्यालय के प्राधिकारी

6.01—कार्य परिषद की प्रत्येक बैठक ऐसे दिनांक ऐसे समय और ऐसे स्थान होगी जैसी कुलपति कार्य परिषद की बैठकें द्वारा नियत की जाये।

6.02—कार्य परिषद की साधारण बैठक की सूचना बैठक के कम से कम चौबीस दिन पूर्व सभी सदस्यों को भेज दी जायेगी। बैठक की कार्य सूची बैठक से कम से कम दस दिन अग्रिम में भेजी जायेगी।

6.03—किसी आपात की दशा में कार्यपरिषद की विशेष बैठक कुलपति द्वारा अल्प सूचना पर बुलायी जा सकेगी।

6.04—अधिनियम में निहित समस्त अन्य शक्तियों के अतिरिक्त, विद्या परिषद की निम्नलिखित विद्यापरिषद की अन्य शक्तियाँ और कृत्य शक्तियाँ होंगी,—

(क) अपनी किसी भी शक्ति को कुलपति, संकायाध्यक्ष, कुलसचिव या वित्त अधिकारी या विश्वविद्यालय के प्राधिकारी या अपने द्वारा नियुक्त समिति को, जैसा कि वह उचित समझे, प्रत्यायोजित करना;

(ख) आवास पर लेखक को आमंत्रित करने की व्यवस्था करना और ऐसे आमंत्रणों की शर्तों और निबन्धनों को अवधारित करना ;

(ग) अतिथि आचार्यों, प्रतिष्ठित आचार्यों, परामर्शदाताओं और विद्वानों की नियुक्ति की व्यवस्था करना और ऐसी नियुक्तियों की शर्तों और निबन्धनों को अवधारित करना ;

(घ) विश्वविद्यालय की शैक्षिक नीतियों पर सामान्य पर्यवेक्षण रखना और प्रशिक्षण की रीतियों के सम्बन्ध में निदेश देना, संस्थाओं के मध्य शिक्षण में समन्वय बनाना और अनुसंधान का मूल्यांकन या शैक्षिक स्तरों की व्यवस्था करना;

(ङ) अन्तर शाखा समन्वय बनाना, अन्तर शाखा आधार पर परियोजनाओं को स्वीकार करने के लिए समिति या बोर्ड स्थापित करना;

(च) सामान्य शैक्षिक हितों के मामलों पर या तो स्वप्रेरणा से या किसी शाखा या कार्यपरिषद के सन्दर्भ पर विचार करना और उन पर उपयुक्त कार्यवाई करना।

6.05—पद सृजन से सम्बन्धित सभी मामले और ऐसी मदों, जिन्हें बजट में सम्मिलित नहीं किया गया है, का परीक्षण विचारार्थ और टिप्पणी करने के लिए वित्त समिति द्वारा किया जायेगा और इसके पश्चात कार्यपरिषद को प्रस्तुत किया जायेगा।

6.06—वित्त समिति विश्वविद्यालय की आय और संसाधनों (जिसमें उत्पादक कार्यों की दशा में ऋणों से आय भी है) के आधार पर वर्ष के लिए कुल आवर्ती व्यय तथा कुल अनावर्ती व्यय की सीमा की संस्तुति करेगी।

अध्याय—सात विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारी

अध्ययन की शाखाएं
और विभाग

7.01—विश्वविद्यालय की अध्ययन की ऐसी शाखाएं होंगी जैसी राज्य सरकार के आदेश संख्या 2893/65-2-2008-57(विविध)-2008 विकलांग कल्याण अनुभाग-2, दिनांक 30 दिसम्बर, 2008 में वर्णित है और इस परिनियमावली के अनुलग्नक-क में अन्तर्विष्ट है। अध्ययन की शाखाओं में अग्रतर वृद्धि राज्य सरकार के अनुमोदन के अधीन राज्य सरकार या कार्यपरिषद द्वारा की जा सकेगी।

7.02—प्रत्येक शाखा का एक शाखा बोर्ड होगा और पहले शाखा बोर्ड के सदस्यों को कार्य परिषद द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जायेगा और वे तीन वर्ष के लिए पद धारण करेंगे।

7.03—शाखा बोर्ड की शक्तियां और कृत्य विद्या परिषद द्वारा अवधारित किये जायेंगे।

7.04—किसी शाखा बोर्ड की बैठकों का संचालन और ऐसी बैठकों के लिए अपेक्षित गणपूर्ति विद्या परिषद द्वारा अवधारित की जायेगी।

7.05—प्रत्येक शाखा बोर्ड में ऐसे विभाग होंगे जैसे विद्या परिषद द्वारा उसे समनुदेशित किये जाय :

परन्तु यह कि कार्य परिषद, विद्यापरिषद की संस्तुति पर अध्ययन केन्द्रों की स्थापना कर सकती है विश्वविद्यालय के ऐसे शिक्षक उन्हें समनुदेशित किये जा सकते हैं जिन्हें कार्य परिषद आवश्यक समझे।

7.06—प्रत्येक विभाग में निम्नलिखित होंगे :—

(एक) शाखा का संकायाध्यक्ष ;

(दो) विभाग से सम्बद्ध मानद आचार्य, यदि कोई हो ;

(तीन) विभाग के अध्यापक ;

(चार) विभाग में शोध कर रहे व्यक्ति, और

(पाँच) ऐसे अन्य व्यक्ति जो अधिनियम या परिनियमावली के अनुसार विभाग के सदस्य हो सकते हैं।

7.07—प्रत्येक विभाग का एक अध्ययन बोर्ड होगा।

अध्ययन बोर्ड

7.08—अध्ययन बोर्ड का गठन और इसके सदस्यों की पदावधि विद्या परिषद द्वारा अवधारित की जायेगी।

7.09—विद्या परिषद के समग्र नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन, विभिन्न उपाधियों के लिए शोध के विषयों और शोध उपाधियों की अन्य अपेक्षाओं को अनुमोदित करना और विद्या परिषद द्वारा विहित रीति में संबंधित शाखा बोर्ड को निम्नलिखित की संस्तुति करना अध्ययन बोर्ड के कृत्य होंगे :-

(क) शोध उपाधियों को छोड़कर स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए अध्ययन के पाठ्यक्रम और परीक्षाओं की नियुक्ति ;

(ख) शोध पर्यवेक्षकों की नियुक्ति ; और

(ग) स्नातकोत्तर शिक्षण और शोध के स्तर में सुधार के लिए उपाय :

परन्तु यह कि अध्ययन बोर्ड के उपर्युक्त कृत्य अधिनियम के प्रारम्भ होने के ठीक पश्चात् तीन वर्षों की अवधि के दौरान विभाग द्वारा सम्पादित किये जायेंगे।

अध्याय—आठ

अध्यापकों की नियुक्ति एवं पदोन्नति

8.01—विश्वविद्यालय में अध्यापकों की नियुक्ति और उनकी वृत्ति विकास के लिए अपेक्षित अर्हताएं, समय-समय पर यथासंशोधित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालयों और उनसे सम्बद्ध संस्थाओं में अध्यापकों की नियुक्ति और वृत्ति विकास के लिए अपेक्षित न्यूनतम अर्हताएं) विनियमावली, 2000 द्वारा विहित अर्हताओं के अनुसार होंगी।

नियमित नियुक्ति

8.02 विश्वविद्यालय के विशिष्ट शिक्षा संकाय में अध्यापकों विशेष शिक्षाविदों, प्रशिक्षकों, चिकित्सा विज्ञानिकों और अन्य विशेषज्ञों की नियुक्ति हेतु अर्हताएं वही होंगी जैसा कि भारतीय पुनरुद्धार परिषद द्वारा समय-समय पर विहित की जायें।

8.03—भारतीय पुनरुद्धार परिषद के विनियम या मार्ग दर्शन, विश्वविद्यालय के विशिष्ट शिक्षा संकाय के अध्यापन और अन्य पदों की सेवा शर्तों, वृत्ति विकास और अर्हताओं के लिए प्रयोज्य होंगी।

8.04—परिनियम 8.01, 8.02, 8.03 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी कार्यपरिषद, किसी उच्च शैक्षणिक विशिष्टता प्राप्त और वृत्तिक उपलब्धि वाले व्यक्ति को, ऐसे निबन्धन और शर्तों पर जैसा कि वह उचित समझे विश्वविद्यालय में यथास्थिति आचार्य या उपाचार्य के पद या किसी अन्य शैक्षणिक पद को स्वीकार करने के लिए आमंत्रित कर सकता है और ऐसा करने के लिए सहमति देने वाले व्यक्ति को उक्त पद पर नियुक्त कर सकता है।

नियुक्ति की विशेष रीति

8.05—कार्यपरिषद पक्षकारों के मध्य निष्पादित समझौता ज्ञापन में निर्धारित रीति के अनुसार किसी संयुक्त परियोजना का जिम्मा लेने के लिए किसी अन्य विश्वविद्यालय या संगठन में कार्यरत किसी अध्यापक या किसी अन्य शैक्षणिक कर्मचारिण की नियुक्ति कर सकता है।

8.06—कार्यपरिषद इस अध्याय में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार चयनित किसी व्यक्ति को ऐसी निबन्धन और शर्तों पर जैसा कि वह उचित समझे, किसी नियत अवधि के लिए नियुक्त कर सकता है।

नियत कार्यवाही हेतु नियुक्ति

अध्याय-नौ **विश्वविद्यालय के अध्यापकों की सेवाशर्तें**

9.01—किसी अध्यापक को 10 माह की अनधिक अवधि के लिए छुट्टी प्रदान करने के कारण हुई रिक्ति में नियुक्ति के मामले के सिवाय विश्वविद्यालय के अध्यापकों की नियुक्ति परिशिष्ट 'क' में दिये गये प्रपत्र में लिखित संविदा के आधार पर की जायेगी।

9.02—विश्वविद्यालय का अध्यापक कर्तव्य के प्रति सदैव पूर्ण सत्यनिष्ठा और अनुरक्ति बनाये रखेगा और परिशिष्ट 'ख' में दी गयी ऐसी आचरण संहिता का अनुपालन करेगा जो नियुक्ति के समय अध्यापक द्वारा हस्ताक्षर किये जाने वाले करार का अंग होगा।

9.03—परिशिष्ट 'ख' में दिये गये आचरण संहिता के किसी उपबन्ध का उल्लंघन किया जाना परिनियम 9.04 के खण्ड (1) के अर्थान्तर्गत अवचार समझा जाएगा।

9.04—(1) विश्वविद्यालय के अध्यापक को निम्नलिखित एक या उससे अधिक आधारों पर पदच्युत किया जा सकता है या हटाया जा सकता है या उसकी सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं :-

- (क) कर्तव्य की जान बूझकर उपेक्षा;
- (ख) अवचार;
- (ग) सेवा संविदा के किसी निबंधन का उल्लंघन;
- (घ) विश्वविद्यालय की परीक्षाओं से सम्बन्धित अशुचिता;
- (ङ) नैतिक अधमता से ग्रस्त कलंकात्मक आचरण या किसी अपराध हेतु दोष सिद्धि;
- (च) शारीरिक या मानसिक अस्वस्थता;
- (छ) अक्षमता;
- (ज) पद समापन;

(2) संविदा समापन के लिए किसी भी ओर से अन्यून तीन माह की नोटिस दी जाएगी (या जहाँ नोटिस अक्तूबर माह के पश्चात दी जाती है तो वहाँ तीन माह की नोटिस या सत्र समाप्ति पर सूचना, जो भी दीर्घ अवधि की हो) या ऐसी नोटिस के बदले में तीन माह (या यथापूर्वोक्त दीर्घ अवधि) के वेतन का भुगतान किया जाएगा :

परन्तु यह कि जहाँ विश्वविद्यालय खण्ड (1) के अधीन विश्वविद्यालय के किसी अध्यापक को पदच्युत करता है या हटाता है या उसकी सेवाएं समाप्त करता है, या जब अध्यापक विश्वविद्यालय द्वारा उसके किसी निबंधन का उल्लंघन किये जाने के निमित्त संविदा को समाप्त करता है तो ऐसा कोई नोटिस आवश्यक नहीं होगा।

परन्तु यह और कि सम्बद्ध पक्षकार पारस्परिक करार द्वारा नोटिस के शर्त को पूर्णतः या अंशतः अधिकृत करने के लिए स्वतंत्र होंगे।

9.05—परिनियमावली में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, विश्वविद्यालय कि किसी सवेतन अधिकारी और अध्यापक की नियुक्ति अधिनियम परिनियमावली और अध्यादेशों के उपबन्धों से संगत एक लिखित संविदा के सिवाय नहीं की जाएगी।

9.06—परिनियम 9.01 में निर्दिष्ट नियुक्ति की मूल संविदा, नियुक्ति के दिनांक से तीन माह के भीतर कुलसचिव के पास पंजीकरण के लिए दर्ज की जाएगी और उसकी एक प्रति संबंधित अधिकारी या अध्यापक को प्रस्तुत की जाएगी।

9.07—(1) परिनियम 9.04 के खण्ड-1 में उल्लिखित किसी आधार पर (नैतिक अधमता से संबंधित किसी अपराध के लिए दोषसिद्धि या पद समाप्ति के मामलों के सिवाय) विश्वविद्यालय के किसी अध्यापक को पदच्युत, हटाये जाने या सेवा समापन के आदेश नहीं पारित किये जायेंगे, जब तक कि अध्यापक के विरुद्ध आरोप न तैयार कर लिया गया हो और ऐसी प्रस्तावित कार्यवाही किये जाने के कारणों/आधारों के विवरण सहित उसे सूचित न कर दिया गया हो और उसे :-

(क) अपने बचाव में लिखित अभिकथन प्रस्तुत करने;

(ख) व्यक्तिगत रूप से सुने जाने का, यदि वह ऐसा चयन अपने बचाव में करे; और

(ग) ऐसे गवाहों को बुलाये जाने और परीक्षण किये जाने का जैसा वह चाहे;

पर्याप्त अवसर न दिया गया हो :

परन्तु यह कि कार्यपरिषद या उसके द्वारा जाँच करने के लिए प्राधिकृत कोई अधिकारी, ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे, किसी गवाह को बुलाने से इन्कार कर सकता है।

(2) कार्यपरिषद, जाँच अधिकारी की रिपोर्ट के दिनांक से सामान्यतया दो माह के भीतर किसी भी समय संबंधित अध्यापक को सेवा से पदच्युत करते हुए या हटाते हुए या सेवा समाप्त करते हुए एक प्रस्ताव पारित कर सकती है जिसमें ऐसे पदच्युत किये जाने, हटाये जाने या सेवा समापन के कारणों को उल्लिखित किया जायेगा।

(3) ऐसा प्रस्ताव संबंधित अध्यापक को तत्काल संसूचित किया जायेगा।

(4) कार्यपरिषद, अध्यापक को पदच्युत, हटाने या सेवा समाप्त करने के बजाये, तीन वर्ष से अनधिक किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए अध्यापक का वेतन घटाये जाने और या किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए उसकी वेतन वृद्धि रोकें जाने का अल्पतर दंड आरोपित करते हुए प्रस्ताव पारित कर सकती है या अध्यापक के निलम्बन, यदि कोई, के दौरान उसको वेतन से वंचित रख सकती है।

9.08—(1) किसी भारतीय विश्वविद्यालय या लोक सेवा आयोग से भिन्न किसी निकाय द्वारा आयोजित किसी परीक्षा के सम्बन्ध में निष्पादित किन्हीं कार्यों के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय के अध्यापकों को पारिश्रमिक के भुगतान संबंधी शर्तें ऐसी होंगी जैसी विहित की जाएंगी।

अध्यापकों को अनुमत्य अतिरिक्त लाभकारी कार्यों की सीमा

(2) विश्वविद्यालय का कोई अध्यापक किसी भी समय, अध्यापन से भिन्न कार्यों वाले या किसी परीक्षा से संबंधित कार्यों वाले एक से अधिक लाभकारी पद धारण नहीं करेगा।

स्पष्टीकरण : शब्द लाभकारी पद में किसी हाल या हास्टल का वार्डन या अधीक्षक का पद, कुलानुशासक, खेल अधीक्षक, पुस्तकालयाध्यक्ष और राष्ट्रीय कैंडेट कोर, राष्ट्रीय संगठन, राष्ट्रीय सेवा योजना और विश्वविद्यालय सेवा योजना कार्यालय में कोई पद और ऐसे अन्य समान पद सम्मिलित हैं।

9.09—(1) कार्यपरिषद, ऐसी कार्यावधि के लिए जैसा वह उचित समझे, विश्वविद्यालय में एक अनुशासन समिति का गठन करेगी जिसमें कुलपति और उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट दो अन्य व्यक्ति होंगे

अनुशासन समिति

परन्तु यह कि यदि कार्यपरिषद समीचीन समझे, तो वह विभिन्न मामलों या मामलों के समूह के विचारण हेतु एक से अधिक ऐसी समितियों का गठन कर सकती है।

(2) कोई अध्यापक, जिसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही का कोई मामला लंबित हो, मामले के निस्तारण की अनुशासन समिति का सदस्य नहीं होगा।

(3) कार्यपरिषद किसी भी स्तर पर किसी मामले को एक अनुशासन समिति से दूसरे अनुशासन समिति को स्थानान्तरित कर सकती है।

(4) अनुशासन समिति के कृत्य निम्नवत् होंगे :-

(क) विश्वविद्यालय के किसी कर्मचारी द्वारा की गयी किसी अपील का विनिश्चय;

(ख) विश्वविद्यालय के किसी अध्यापक या पुस्तकालयाध्यक्ष के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के मामलों में जॉच आयोजित करना;

(ग) ऊपर उपखण्ड (ख) में निर्दिष्ट किसी कर्मचारी के विरुद्ध लंबित या अनुध्यात जॉच में ऐसे कर्मचारी के निलम्बन की संस्तुति;

(घ) ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कृत्यों का निष्पादन जो उसे परिषद द्वारा, समय-समय पर सौंपे जायें।

(5) समिति के सदस्यों के मध्य राय की विभिन्नता के मामले में बहुमत का निर्णय अभिभावी होगा।

(6) अनुशासनिक समिति के विनिश्चय या रिपोर्ट को यथा सम्भव शीघ्र कार्यपरिषद के समक्ष रखा जाएगा ताकि कार्यपरिषद सम्बन्धित मामले में अपना विनिश्चय कर सके।

9.10—परिनियम 9.09 में निर्दिष्ट अनुशासनिक समिति परिनियम 9.04 के खण्ड (1) के उपखण्ड (क) से (ड) में उल्लिखित आधार पर किसी अध्यापक के विरुद्ध जॉच के लंबित या अनुध्यात रहने के दौरान अध्यापक के निलम्बन की संस्तुति कर सकती है। निलम्बन आदेश यदि जॉच को ध्यान में रखते हुए पारित किया गया हो तो प्रवृत्त होने के चार सप्ताह की समाप्ति पर निष्प्रभावी हो जाएगा, जब तक कि इसी बीच अध्यापक को ऐसे आरोप या आरोपों के सम्बन्ध में संसूचित न कर दिया गया हो जिनके आधार पर जॉच का अनुध्यात किया गया था।

(2) विश्वविद्यालय के किसी अध्यापक को निलम्बन के अधीन समझा जायेगा—

(क) अपनी दोषसिद्धि के दिनांक से यदि किसी अपराध के लिए दोषसिद्धि की दशा में, उसे 48 घण्टे से अधिक की अवधि तक कारावास से दण्डित किया जाता है और ऐसी दोषसिद्धि के परिणाम स्वरूप उसे तत्काल पदच्युत किया या हटाया नहीं जाता है;

(ख) किसी अन्य दशा में हिरासत की अवधि तक, यदि उसे अभिरक्षा में हिरासत में रखा जाता है, हिरासत चाहे अपराधिक आरोप के लिए हो या अन्यथा हो।

स्पष्टीकरण : इस खण्ड के उपखण्ड (क) में निर्दिष्ट 48 घण्टे की अवधि की गणना दोषसिद्धि के पश्चात् कारावास के प्रारम्भ से की जायेगी और इस प्रयोजन के लिए कारावास की आंतरायिक कालावधियाँ, यदि कोई हों, को ध्यान में रखा जायेगा।

(3) जहाँ विश्वविद्यालय के किसी अध्यापक की सेवा से पदच्युति या हटाये जाने के आदेश को अधिनियम या इन परिनियमों के अधीन या अन्यथा किसी कार्यवाही के परिणामस्वरूप अपास्त कर दिया जाता है या शून्य घोषित कर दिया जाता है या शून्य दिया जाता है, और विश्वविद्यालय का समुचित अधिकारी, प्राधिकारी या निकाय उसके विरुद्ध अग्रतर जॉच करने का विनिश्चय करता है और तब यदि अध्यापक ऐसी पदच्युति या हटाये जाने के तत्काल पूर्व निलम्बन के अधीन रहा हो, तो निलम्बन आदेश को पदच्युति या हटाया जाने के मौलिक आदेश के दिनांक को और से प्रवृत्त रहा समझा जाएगा।

(4) इस निलम्बन की अवधि के दौरान विश्वविद्यालय का अध्यापन उत्तर प्रदेश सरकार के वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड—दो (समय—समय पर यथा संशोधित) के भाग—दो के अध्याय—आठ की उपबन्धों के अनुसार निर्वाह भता पाने का हकदार होगा जो यथावश्यक परिवर्तन के साथ लागू हों।

9.11—परिनियम 9.07 के खण्ड (2) या परिनियम 9.08 के खण्ड (1) के प्रयोजनों के लिए अधिकतम अवधि की संगणना करने में वह अवधि, जिसके दौरान किसी न्यायालय से रोक आदेश प्रवर्तन में रहा हो, अपवर्जित कर दी जाएगी।

9.12-विश्वविद्यालय का कोई भी अध्यापक किसी कैलेंडर मास में विश्वविद्यालय की किसी परीक्षा के सम्बन्ध में सम्पादित किसी कर्तव्य के लिए कोई पारिश्रमिक, जो उस कैलेंडर मास में उसके कुल वेतन के एक छठवें भाग या पचास हजार रुपये, जो भी कम हों, से अधिक आहरित नहीं करेगा।

9.13-इस परिनियमावली में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी-

(एक) विश्वविद्यालय का कोई अध्यापक जो संसद या राज्य विधान मण्डल का सदस्य हो, अपनी सदस्यता की पूरी अवधि में विश्वविद्यालय में कोई प्रशासनिक या लाभकारी पद धारण नहीं करेगा;

(दो) यदि विश्वविद्यालय का कोई अध्यापक संसद या विधान मण्डल के सदस्य के रूप में अपने निर्वाचन या नामनिर्देशन के दिनांक के पूर्व से विश्वविद्यालय में कोई प्रशासनिक या लाभकारी पद धारण कर रहा हो तो वह ऐसे निर्वाचन या नामनिर्देशन के दिनांक से या इस परिनियमावली के प्रारम्भ होने के दिनांक से, जो भी पश्चात्पूर्ती हो, ऐसा पद धारण करने से प्रविरत हो जाएगा;

(तीन) विश्वविद्यालय के किसी अध्यापक को, जो संसद या विधान मण्डल में निर्वाचित या नामनिर्दिष्ट किया गया हो, अपनी सदस्यता के दौरान सिवाय किसी सदन की बैठक या उसकी कमेटी में सम्मिलित होने के लिये, विश्वविद्यालय से त्याग-पत्र देने या अवकाश लेने की आवश्यकता नहीं होगी।

स्पष्टीकरण-विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या निकाय की सदस्यता या किसी संकाय के संकायाध्यक्ष पद या किसी महाविद्यालय के प्रधानाचार्य पद को इस परिनियमावली के प्रयोजनों के लिए प्रशासनिक पद नहीं समझा जाएगा।

9.14-कार्यपरिषद दिनों की ऐसी न्यूनतम संख्या निर्धारित करेगी जिसके दौरान ऐसा अध्यापक विश्वविद्यालय में अपने शैक्षणिक कर्तव्यों के लिए उपस्थित रहेगा :

परन्तु यह कि जहाँ विश्वविद्यालय का कोई अध्यापक संसद या राज्य विधान मण्डल के सत्र के कारण इस प्रकार उपलब्ध न हों, वहाँ वह ऐसे अवकाश पर, जैसा उसे देय हो, और यदि कोई अवकाश देय न हो तो बिना वेतन अवकाश पर समझा जाएगा।

9.15-छुट्टी निम्नलिखित प्रकार की होगी-

विश्वविद्यालय के
अध्यापकों के लिए
छुट्टी के नियम

(क) आकस्मिक छुट्टी

(ख) विशेषाधिकार छुट्टी

(ग) बीमारी की छुट्टी

(घ) ड्यूटी की छुट्टी

(ङ) दीर्घकालिक छुट्टी

(च) असाधारण छुट्टी

(छ) प्रसूति छुट्टी

9.16-आकस्मिक छुट्टी एक मास में सात दिन या एक सत्र में 14 से अनधिक दिन के लिए पूर्ण वेतन पर होगी और वह संचित नहीं होगी। वह समान्यतया अवकाशों के साथ संयुक्त नहीं की जाएगी, किन्तु विशेष परिस्थितियों में कुलपति ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जाएंगे, इस शर्त का अधित्यजन कर सकता है।

9.17-विशेषाधिकार छुट्टी एक सत्र में दस कार्य दिवस तक पूर्ण वेतन पर होगी और वह 60 कार्य दिवस तक संचित हो सकेगी।

9.18—बीमारी की छुट्टी एक सत्र में एक माह के लिए न्यूनतम आधे वेतन के साथ वेतन की वर्तमान दर और छुट्टी व्यवस्था, यदि कोई हो, की कुल लागत के मध्य अन्तर के आधार पर होगी और वह संचित नहीं होगी।

9.19—विश्वविद्यालय के निकायों, तदर्थ समितियों और ऐसे सम्मेलनों, जिसका कोई अध्यापक पदेन सदस्य हो या जिसमें वह विश्वविद्यालय द्वारा नामित किया गया हो, की किसी बैठक में सम्मिलित होने के लिए पूर्ण वेतन पर 15 कार्य दिवस तक ड्यूटी पर छुट्टी होगी।

9.20—दीर्घकालिक छुट्टी एक सत्र में एक मास के लिए अर्ध वेतन पर होगी, और बारह मास तक संचित हो सकेगी और वह लम्बी बीमारी, अत्यधिक कार्य, अनुमोदित अध्ययनों या सेवानिवृत्ति पूर्व जैसे कारणों के लिए प्रदान की जायेगी :

परन्तु यह कि लम्बी बीमारी की दशा में छुट्टी कार्यपरिषद के विवेक पर, छह मास से अनधिक की अवधि के लिए पूर्ण वेतन पर प्रदान की जा सकेगी। ऐसी छुट्टी पाँच वर्ष की निरन्तर सेवा के पश्चात् ही लम्बी बीमारी के मामले को छोड़ कर, प्रदान की जाएगी।

परन्तु यह और कि ऐसे अध्यापकों को जिन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अध्यापक अध्येतावृत्ति के लिए या आयोग द्वारा प्रायोजित किसी अन्य योजना के अधीन विदेश में प्रशिक्षण या अध्ययन के लिए चयनित किया गया हो, ऐसी अध्येतावृत्ति प्रशिक्षण या अध्ययन की अवधि तक राज्य सरकार द्वारा यथा विहित निबन्धन एवं शर्तों पर पूर्ण वेतन पर छुट्टी प्रदान की जायेगी।

9.21—असाधारण छुट्टी बिना वेतन की होगी। यह ऐसे कारणों से जैसा कार्य परिषद उचित समझे, प्रारम्भ में तीन वर्ष से अनधिक अवधि के लिए प्रदान की जा सकेगी, किन्तु यह विशेष परिस्थितियों में दो वर्ष से अनधिक वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकेगी।

स्पष्टीकरण—ऐसा अध्यापक जो कोई स्थायी पद धारण करता हो या जो किसी निम्नतर पद पर स्थायी होकर किसी उच्चतर पद पर तीन से अधिक वर्ष तक स्थानापन्न रूप से कार्य कर रहा हो, राज्य सरकार की सहमति के अधीन रहते हुए, उच्चतर वैज्ञानिक या तकनीकी अध्ययन प्रारम्भ करने के लिए स्वीकृत की गयी असाधारण छुट्टी की अवधि को समय वेतनमान में अपनी वेतन वृद्धि में संगणित कराने के लिए हकदार होगा।

2—राज्य सरकार की सहमति के अधीन रहते हुए, कोई अध्यापक जो अस्थायी पद धारण कर रहा हो और उसे ऐसी छुट्टी स्वीकृत की गयी हो उसे ऐसी छुट्टी से वापस आने पर समय वेतनमान में ऐसे स्तर पर जैसा वह छुट्टी पर न जाने की दशा में पहुँचे तो, वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड दो से चार के मूल नियम 27 के अनुसार निर्धारित अपना वेतन पाने का हकदार होगा, परन्तु उक्त अध्ययन जिसके लिए ऐसी छुट्टी प्रदान की गयी थी, लोक हित में हो।

9.22—प्रसूति छुट्टी महिला अध्यापकों के लिये होगी जो ऐसी छुट्टी के प्रारम्भ होने के दिनांक से छः मास की अवधि तक या प्रसव के दिनांक से बारह सप्ताह की अवधि तक जो भी पूर्वतर हो, हो सकती है।

परन्तु यह कि ऐसी छुट्टी अध्यापक की सम्पूर्ण सेवा में दो बार से अधिक बार नहीं प्रदान की जाएगी।

9.23—छुट्टी पर दावा अधिकार के रूप में नहीं किया जा सकेगा। यदि अवसर की आवश्यकता की माँग हो तो स्वीकृत प्राधिकारी किसी प्रकार की छुट्टी को अस्वीकार कर सकता है और पहले से स्वीकृत छुट्टी को रद्द भी कर सकता है।

9.24—लम्बी बीमारी के कारण बीमारी की छुट्टी या दीर्घकालिक छुट्टी किसी पंजीकृत चिकित्सक के चिकित्सा प्रमाण—पत्र के प्रस्तुत करने पर प्रदान की जाएगी। ऐसी छुट्टी के 14 दिन से अधिक होने की दशा में कुलपति स्वयं द्वारा अनुमोदित किसी पंजीकृत चिकित्सक से दूसरे प्रमाण—पत्र की माँग करने के लिए सक्षम होगा।

9.25—कुलपति छुट्टी प्रदान करने वाला सक्षम प्राधिकारी होगा, सिवाय दीर्घकालिक छुट्टी और असाधारण छुट्टी के मामले में जो कार्य परिषद द्वारा प्रदान की जायेगी।

अध्याय-दस

शिक्षणोत्तर कर्मचारियों की सेवा की शर्तें

10.01-विश्वविद्यालय में समूह "ग" के शिक्षणोत्तर कर्मचारियों के लिए अपेक्षित अर्हताएं और अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया समय-समय पर यथा संशोधित समूह "ग" के लिए उत्तर प्रदेश सीधी भर्ती (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर) नियमावली, 2002 के उपबन्धों के अनुसार की जायेगी:

परन्तु यह कि वे पद जो या तो उपर्युक्त नियम के अधीन आच्छादित नहीं हैं या जो ज्येष्ठ स्तर के हैं, ऐसे पद पर नियुक्त विश्वविद्यालय के लिए पदों के सृजन से सम्बन्धित राज्य सरकार के शासनादेश संख्या 2893/65-2-2008-57(विविध)/2008, दिनांक 30 दिसम्बर, 2008 में दिये गये उपबन्धों के अनुसार या तो प्रति नियुक्ति द्वारा या सेवा स्थानान्तरण द्वारा की जाएगी:

परन्तु यह और कि जहाँ उपर्युक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न हों और पात्र अभ्यर्थी विश्वविद्यालय में अपनी पूर्ण सेवा प्रदान करने के लिए इच्छुक हों वहाँ ऐसे ज्येष्ठ स्तर के पद पर नियुक्ति सीधे कुलसचिव द्वारा ऐसे अभ्यर्थियों में से की जाएगी जो शासनादेश संख्या-2893/65-2-2008-57(विविध)/2008, दिनांक 30 दिसम्बर, 2008 में दिये गये वेतनमान और ज्येष्ठता के मानदंड पूरा करते हैं:

परन्तु यह भी कि ज्येष्ठ स्तर के पदों पर नियुक्ति केवल तभी तक की जायेगी जब ऐसे पदों पर पदोन्नति के लिए कनिष्ठ स्तर के पदों पर अभ्यर्थी उपलब्ध न हों।

10.02-सीधे भर्ती या प्रतिनियुक्ति द्वारा या सेवा स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता विश्वविद्यालय में सेवा में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अवधारित की जायेगी:

परन्तु यह कि जहाँ संयुक्त चयन सूची के माध्यम से एक से अधिक अभ्यर्थियों की नियुक्ति की गयी है, वहाँ अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता चयन सूची में उनकी योग्यता द्वारा अवधारित की जाएगी।

ज्येष्ठ पदों पर चयनित अभ्यर्थियों की सेवाओं को उनके द्वारा उनके मूल विभाग में प्राप्त की जा रही सभी सुविधाओं और वेतन को ध्यान में रखा जायेगा।

10.03-समूह "ग" के कर्मचारियों के वृत्ति विकास एवं पदोन्नति के अवसर उसी प्रकार होंगे जैसा कि कार्य परिषद द्वारा समय-समय पर विनियमों द्वारा अवधारित किये जाये।

10.04-विश्वविद्यालय के अध्यापकों एवं अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों से भिन्न विश्वविद्यालय के सभी कर्मचारी किसी उपबन्ध के प्रभाव में समय-समय पर कार्य परिषद द्वारा यथा अवधारित सेवा के निबन्धनों एवं शर्तों और आचार संहिता द्वारा शासित होंगे।

10.05-जब भी परिनियमों के अनुसार किसी व्यक्ति को ज्येष्ठता के अनुसार चक्रानुक्रम से किसी पद को धारण करना हो या विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी का सदस्य बनना हो तो ऐसी ज्येष्ठता का अवधारण उसकी कोटि में ऐसे व्यक्ति की निरन्तर सेवा की अवधि के अनुसार और ऐसे अन्य सिद्धान्तों के अनुसार किया जाएगा जैसा कार्य परिषद द्वारा समय-समय पर निश्चित किये जायें।

10.06-कुलसचिव का यह कर्तव्य होगा कि वह ऐसे प्रत्येक वर्ग के व्यक्तियों के सम्बन्ध में, जिन पर इस परिनियमावली के उपबन्ध लागू होते हैं, परिनियम 10.05 के उपबन्धों के अनुसार एक पूर्ण एवं अद्यतन ज्येष्ठता सूची तैयार करें।

10.07-यदि दो या उससे अधिक व्यक्तियों की किसी विशेष कोटि में निरन्तर सेवा की अवधि बराबर हो या किसी व्यक्ति या व्यक्तियों की पारस्परिक ज्येष्ठता के सम्बन्ध में अन्यथा संदेह हो तो कुलसचिव स्वप्ररेणा से, और ऐसे किसी व्यक्ति के निवेदन पर, मामले को कार्यपरिषद के समक्ष प्रस्तुत करेगा जिसपर उसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

विश्वविद्यालय के
कर्मचारियों का हटाना
जाना

10.08—जहाँ किसी अध्यापक के विरुद्ध कदाचार का आरोप हो वहाँ शैक्षणिक कर्मचारिण का कोई सदस्य या विश्वविद्यालय का अन्य कर्मचारी, कुलपति, अध्यापक या शैक्षणिक कर्मचारिण के सदस्य के मामले में और कुलसचिव जो नियुक्ति का सक्षम प्राधिकारी है (जिसे आगे नियुक्ति प्राधिकारी कहा गया है), अन्य कर्मचारियों के मामले में यथास्थिति, ऐसे अध्यापक, शैक्षणिक कर्मचारिण के सदस्य या अन्य कर्मचारी को लिखित आदेश द्वारा निलम्बन के अधीन रख सकता है और वह तत्काल कार्यपरिषद को उन परिस्थितियों के सम्बन्ध में सूचित करेगा जिनमें आदेश दिया गया था :

परन्तु यह कि यदि कार्यपरिषद की यह राय हो कि मामले से सम्बन्धित परिस्थितियाँ अध्यापक या शैक्षणिक कर्मचारिण के निलम्बन का समर्थन नहीं करती हैं तो वह ऐसे आदेश को प्रतिसंहत कर सकती है।

10.09 नियुक्ति संविदा के निबन्धन या कर्मचारियों की सेवा के किन्हीं अन्य निबन्धन एवं शर्तों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कार्यपरिषद, अध्यापकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारिण के सम्बन्ध में और नियुक्ति प्राधिकारी, अन्य कर्मचारियों के सम्बन्ध में यथास्थिति किसी अध्यापक या शैक्षणिक कर्मचारिण के किसी सदस्य या अन्य कर्मचारी को कदाचार के आधार पर सेवा से हटा या पदच्युत कर सकता है।

10.10—उपर्युक्त के सिवाय, यथास्थिति, कार्यपरिषद, या नियुक्ति प्राधिकारी किसी अध्यापक, शैक्षणिक कर्मचारिण के सदस्य या अन्य कर्मचारी को, सिवाय उपर्युक्त कारणों से और तीन माह की सूचना देने के पश्चात् या उसके बदले में तीन माह की सेवा का भुगतान करके सेवा से हटाने या पदच्युत करने का हकदार नहीं होगा।

10.11—किसी अध्यापक, शैक्षणिक कर्मचारिण के सदस्य या अन्य कर्मचारी को सेवा से तब तक हटाया या पदच्युत नहीं किया जायेगा जब तक कि उसके सम्बन्ध में दिये जाने वाले प्रस्तावित आदेश के विरुद्ध उसको कारण बताने का उचित अवसर न प्रदान किया गया हो।

10.12—किसी अध्यापक, शैक्षणिक कर्मचारिण के सदस्य या अन्य कर्मचारी को सेवा से हटाया जाना या उसकी पदच्युति उस दिनांक से प्रभावी होगी जिस दिनांक को हटाने या पदच्युत करने का आदेश दिया गया था :

परन्तु यह कि जहाँ अध्यापक शैक्षणिक कर्मचारिण का सदस्य या अन्य कर्मचारी स्वयं को हटाये जाने या पदच्युति के समय निलम्बन के अधीन हो वहाँ उसका हटाया जाना या उसकी पदच्युति उस दिनांक से प्रभावी होगी जिस दिनांक को वह निलम्बन के अधीन रखा गया था।

10.13—इस परिनियमावली के पूर्वगामी उपबन्ध में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई अध्यापक, शैक्षणिक कर्मचारिण का सदस्य या अन्य कर्मचारी त्यागपत्र दे सकता है—

(क) यदि वह एक स्थायी कर्मचारी है, तो यथास्थिति, कार्यपरिषद या नियुक्ति प्राधिकारी को तीन माह की लिखित सूचना देने के पश्चात् ही या उसके बदले में तीन माह के वेतन का भुगतान करके;

(ख) यदि वह एक स्थायी कर्मचारी नहीं है, तो यथास्थिति, कार्यपरिषद या नियुक्ति प्राधिकारी को एक माह की लिखित सूचना देने के पश्चात् ही या उसके बदले में एक माह का वेतन का भुगतान करके :

परन्तु यह कि ऐसा त्यागपत्र केवल उसी दिनांक को प्रभावी होगा जब, यथास्थिति, कार्यपरिषद या नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा त्यागपत्र स्वीकार किया जाय।

अध्याय-11**प्रवेशों में आरक्षण**

11.01—अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) और (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, शैक्षणिक सत्र 2009-10 से विश्वविद्यालय, संस्था, घटक, महाविद्यालय, सम्बद्ध महाविद्यालय या संयुक्त महाविद्यालय में किसी पाठ्यक्रम में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों के लिए निम्नलिखित प्रतिशत में सीट आरक्षित किये जावेंगे, अर्थात:-

अनुसूचित जाति	इक्कीस प्रतिशत
अनुसूचित जनजाति	दो प्रतिशत
नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग	सत्ताईस प्रतिशत

परन्तु यह कि विभिन्न पाठ्यक्रमों के प्रवेश में कम से कम पचास प्रतिशत सीटें निःशक्त व्यक्तियों के लिए आरक्षित रहेंगी जिसमें से पचास प्रतिशत सीटें दृष्टिबाधित छात्रों के लिए आरक्षित रहेंगी। इस प्रकार के आरक्षण के आधार पर प्रवेश के लिए चयनित अभ्यर्थी को उस उपयुक्त श्रेणी में रखा जाएगा जिससे वह सम्बन्धित है। उदाहरणार्थ, यदि उपर्युक्त आधार पर किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए चयनित अभ्यर्थी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़े वर्गों से सम्बन्धित है तो उसे आवश्यक समायोजन करके उस सम्बन्धित श्रेणी में रखा जाएगा जिससे वह सम्बन्धित है इसी प्रकार यदि वह सामान्य श्रेणी से सम्बन्धित है तो उसे आवश्यक समायोजन करने के पश्चात् उसी श्रेणी में रखा जाएगा।

परन्तु यह और कि यदि किसी अन्य राज्य से सम्बन्धित छात्रों के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन या भारत सरकार के किसी आदेश के अधीन आरक्षित सीटों को यदि कोई हो, इस परिनियम के अधीन प्रतिशत की गणना के प्रयोजन के लिए सीटों की कुल संख्या में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

स्पष्टीकरण : इस परिनियम के प्रयोजन के लिए पद सामान्य श्रेणी का तात्पर्य खण्ड (1) में निर्दिष्ट श्रेणियों से भिन्न श्रेणी से है।

11.02—यदि अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित पात्र व्यक्ति परिनियम 11.01 के खण्ड (1) के अधीन उनके लिए आरक्षित सीटों को भरने के लिए उपलब्ध नहीं है तो ऐसी सीट अनुसूचित जाति से सम्बन्धित व्यक्तियों द्वारा भरी जाएंगी।

11.03—जहाँ पात्र अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता के कारण परिनियम 11.01 के खण्ड (1) के अधीन आरक्षित कोई सीट बिना भरी रह जाती है, वहाँ वह उस श्रेणी के अभ्यर्थियों में से, जिसके अधीन पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध है, योग्यता के आधार पर भरी जायेगी।

11.04—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों या निःशक्त अध्यापकों से सम्बन्धित अध्यापकों को, जहाँ तक सम्भव हो, प्रवेश समिति में प्रतिनिधित्व दिया जायेगा जिससे प्रवेश में पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके।

अध्याय-12**प्रकीर्ण उपबन्ध**

12.01—विश्वविद्यालय का कोई प्राधिकरण उतनी संख्या में स्थायी या विशेष समितियाँ नियुक्त कर सकता है जितनी वह उचित समझे और ऐसी समितियों में ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त कर सकता है जो ऐसे प्राधिकरण के सदस्य नहीं हैं।

12.02—परिनियम 12.01 के अधीन नियुक्त ऐसी कोई समिति स्वयं को प्रत्यायोजित किसी विषय का प्राधिकरण के पश्चात्तर्वर्ती पुष्टि के अधीन रहते हुए, निस्तारण कर सकती है।

12.03—कार्य परिषद् विद्या परिषद् की संस्तुति पर और उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो तिहाई बहुमत द्वारा पारित सकल्प द्वारा मानद उपाधि प्रदान करने के लिए सामान्य परिषद् के समक्ष प्रस्ताव कर सकती है।

विश्वविद्यालय के छात्रों के मध्य अनुशासन बनाए रखना

12.04—कुलपति अपनी किन्हीं या सभी शक्तियों को जैसा वह उचित समझे, कुलानुशासक को या ऐसे अन्य अधिकारियों को जिन्हें वह इस निमित्त विनिर्दिष्ट करें, विनिर्दिष्ट कर सकता है।

12.05—अनुशासन बनाए रखने से सम्बन्धित अपनी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना कुलपति अपनी शक्तियों के प्रयोग में आदेश द्वारा निदेश दे सकता है कि किसी छात्र या छात्रों को विनिर्दिष्ट अवधि के लिए निष्कासित या बहिष्कृत कर दिया जाये या नियत अवधि तक किसी संस्था या विश्वविद्यालय के किसी विभाग या किसी पाठ्यक्रम या अध्ययन के पाठ्यक्रम में प्रवेश न दिया जाये या आदेश में विनिर्दिष्ट की जाने वाली धनराशि से दण्डित किया जाये या उससे अधिक वर्ष के लिए विश्वविद्यालय, संस्था या विभाग या विद्यालय द्वारा संचालित कोई परीक्षा या परीक्षाएं देने से विवर्जित कर दिया जाये या यह कि उस परीक्षा या परीक्षाओं में जिसमें सम्बन्धित छात्र सम्मिलित हुआ/हुए हैं, उनके परिणाम को रद्द कर दिया जाये।

12.06—संस्थाओं के अध्यक्षों अध्ययन विद्यालयों के संकायाध्यक्षों, और विश्वविद्यालय में अध्यापन विभागों के अध्यक्षों को अपने सम्बन्धित विभागों, विद्यालयों और विश्वविद्यालय के अध्यापन विभागों में छात्रों पर ऐसी समस्त अनुशासनिक शक्तियों का प्रयोग करने का प्राधिकार होगा जैसा ऐसे संस्थाओं, विद्यालयों और विश्वविद्यालय में अध्यापन विभागों में उपयुक्त संचालन के लिए आवश्यक हों।

12.07—कुलपति और परिनियम 12.05 में विनिर्दिष्ट अन्य व्यक्तियों की शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अनुशासन और उचित आचरण की विस्तृत प्रक्रिया विश्वविद्यालय द्वारा तैयार की जाएगी। संस्थाओं के प्रधानाचार्य, अध्ययन विद्यालयों के संकायाध्यक्ष और विश्वविद्यालयों के अध्यापन विभागों के अध्यक्ष भी ऐसे अनुपूरक उपबन्ध बना सकते हैं जैसा उपर्युक्त प्रयोजनों के लिए आवश्यक समझे जायें।

दीक्षांत समारोह

12.08—उपाधियाँ प्रदान करने या अन्य प्रयोजनों के लिए दीक्षांत समारोहों का आयोजन ऐसे समय और स्थान पर किया जाएगा जैसा कार्यपरिषद द्वारा अवधारित किया जाये।

बैठकों की अध्यक्षता

12.09—जहाँ विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या ऐसे प्राधिकरण के किसी समिति की बैठक की अध्यक्षता करने के लिए अध्यक्ष या सभापति के लिए कोई उपबन्ध न बनाया गया हो या जब इस प्रकार उपबन्धित अध्यक्ष या सभापति अनुपस्थित हों तो उपस्थित सदस्य स्वयं में से किसी एक को ऐसी बैठक की अध्यक्षता करने के लिए चयनित कर लेंगे।

पदत्याग

12.10—किसी पदेन सदस्य से भिन्न सामान्य परिषद कार्यपरिषद, विद्यापरिषद या विश्वविद्यालय के किसी अन्य प्राधिकरण या ऐसे प्राधिकरण के किसी समिति का कोई सदस्य कुलसचिव को सम्बोधित पत्र द्वारा त्यागपत्र दे सकता है और त्यागपत्र कुल सचिव द्वारा स्वीकार किये जाते ही प्रभावी हो जायेगा।

अनर्हताएं

12.11—(1) कोई भी व्यक्ति विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण का सदस्य चयनित किये जाने या होने से अनर्ह हो जाएगा :-

(एक) यदि वह विकृत चित्त हो;

(दो) यदि वह अननुमोदित दिवालिया हो;

(तीन) यदि वह किसी न्यायालय द्वारा नैतिक अधमता से अन्तर्वर्तित किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराया गया हो और उस सम्बन्ध में छः से अन्यून माह तक कारावास से दण्डित किया गया हो।

(2) यदि इस सम्बन्ध में कोई प्रश्न उत्पन्न है कि क्या कोई व्यक्ति खण्ड (1) में उल्लिखित अनर्हता से ग्रस्त है तो ऐसे प्रश्न को सामान्य परिषद को निर्दिष्ट किया जाएगा और उसका विनिश्चय अन्तिम होगा और ऐसे विनिश्चय के विरुद्ध किसी न्यायालय में न कोई वाद लाया जायेगा या न अन्य कार्यवाही की जाएगी।

12.12—इन विनियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक न हो, व विद्यालय का कोई अधिकारी या विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण का सदस्य बनने या होने के लिए पात्र नहीं होगा।

12.13—अधिनियम और इस परिनियमावली के उपबन्धों के अधीन रहते हुए विश्वविद्यालय का कोई अधिकारी या प्राधिकरण अपनी शक्तियाँ अपने-अपने नियंत्रण के अधीन किसी अन्य अधिकारी या प्राधिकरण या अन्य व्यक्ति को प्रत्यायोजित कर सकता है और इस शर्त के अधीन रहते हुए कि इस प्रकार प्रत्यायोजित शक्तियों के प्रयोग करने का सम्पूर्ण दायित्व ऐसी शक्तियों का प्रत्यायोजन करने वाले अधिकारी या प्राधिकरण में निहित रहेगा।

आज्ञा से,
शैलेश कृष्ण,
प्रमुख सचिव।

परिशिष्ट 'क' (परिनियम 9.01 देखिए)

विश्वविद्यालय के शैक्षणिक स्टाँफ के सदस्यों के साथ करार—प्रपत्र आज दिनांक..... सन् 20.....को श्री.....प्रथम पक्ष और.....(जिसे एतदपश्चात् 'विश्वविद्यालय' कहा गया है) द्वितीय पक्ष के मध्य यह करार किया गया है :-

एतद्वारा निम्नलिखित करार किया जाता है :-

1—यह कि विश्वविद्यालय एतद्वारा श्री/श्रीमती/कुमारी..... को उसके पद ग्रहण के दिनांक से विश्वविद्यालय का अध्यापक नियुक्त करते हैं और प्रथम पक्ष का पक्षकार एतद्वारा कार्य को स्वीकार करता है, और ऐसे पक्ष और विश्वविद्यालय के ऐसे कर्तव्यों के निष्पादन का उत्तरदायित्व लेता है जैसा उससे अपेक्षित है जिसके अन्तर्गत विश्वविद्यालय की सम्पत्ति और निधि का प्रबन्ध और संरक्षण, प्रशिक्षण, औपचारिक या अनौपचारिक शिक्षण तथा छात्रों की परीक्षा का आयोजन, अनुशासन बनाये रखना और किसी पाठ्यक्रम सम्बन्धी या आवासी कार्यकलापों के सम्बन्ध में छात्र कल्याण की प्रोन्नति एवं विश्वविद्यालय के ऐसे पाठ्येत्तर कर्तव्य का निर्वहन करना जो उसे सौंपे जाये और उन अधिकारियों के प्रति समर्पित रहना जिनके अधीन उसे तत्समय विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों द्वारा रखा जाता है और समय-समय पर यथा संशोधित विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित अध्यापकों के लिए आचार संहिता का अनुपालन करना और उसके अनुरूप रहना भी है:

परन्तु यह कि अध्यापक प्रथम बार एक वर्ष की अवधि तक परीवीक्षा पर रहेगा और कार्यपरिषद अपने विवेकानुसार परीवीक्षा की अवधि को एक वर्ष के लिए बढ़ा सकती है।

2—यह कि प्रथम पक्ष का पक्षकार विश्वविद्यालय की परिनियमावली के उपबन्धों के अनुसार सेवानिवृत्त होगा।

3—अध्यापक का पद जिस पर प्रथम पक्ष का पक्षकार नियुक्त है, से सम्बद्ध वेतनमान..... होगा। प्रथम पक्ष के पक्षकार को उसके द्वारा उक्त कर्तव्य का कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से उपर्युक्त वेतनमान में रु०.....

प्रति माह की दर से वेतन प्रदान किया जायेगा, और वह उक्त वेतनमान में उत्तरवर्ती चरणों में वेतन प्राप्त करेगा जब तक कि परिनियमावली के उपबन्धों के अनुसरण में वार्षिक वृद्धि पर रोक न लगा दी जाये :

परन्तु यह कि जहाँ समयमान वेतनमान में दक्षताशोक विहित है वहाँ रोक के ऊपर अगली वेतन वृद्धि प्रथम पक्ष के पक्षकार को, वृद्धि रोकने के लिए अधिकृत प्राधिकारी की विशेष संस्तुति के बिना नहीं प्रदान की जायेगी।

4-यह कि प्रथम पक्ष का पक्षकार विश्वविद्यालय के ऐसे किसी अधिकारी, प्राधिकारी या निकाय का आज्ञा पालन करेगा और अपनी सर्वोत्तम योग्यता से उनके विधि पूर्ण निर्देश का कार्यान्वयन करेगा जिसके प्राधिकार में वह, इस करार के प्रवृत्त रहने तक उक्त अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये किसी परिनियमावली, अध्यादेश या वह नियमावली के उपबन्धों के अधीन है।

5-यह कि प्रथम पक्ष का पक्षकार समय-समय पर यथा संशोधित, विश्वविद्यालय द्वारा अध्यापकों के लिए निर्धारित आचार संहिता का पालन करने और अनुरूप रहने का वचन देता है।

6-यह कि किसी भी कारणवश इस करार के पर्यवसान पर प्रथम पक्ष का पक्षकार विश्वविद्यालय की समस्त पुस्तकें, उपकरण, अभिलेख एवं अन्य सामग्री जो उनके पास हो, विश्वविद्यालय को वापस कर देगा।

7-समस्त मामलों में इसके पक्षकारों के पारस्परिक अधिकार और दायित्व तत्समय प्रवृत्त विश्वविद्यालय की परिनियमावली और अध्यादेशों द्वारा शासित होंगे जो इसमें सम्मिलित समझे जायेंगे और वे इस रूप में इस करार के भाग होंगे मानो वे डा० शकुन्तला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय (भिन्न रूपेण योग्य हेतु) उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2009 के उपबन्धों द्वारा उनमें पुनः रखे गये हों। साक्ष्य के रूप में इसके पक्षकार अपने हस्ताक्षर और मुहर प्रथमतः ऊपर लिखित दिनांक एवं वर्ष को अंकित करते हैं।

.....
अध्यापक के हस्ताक्षर

.....
विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने वाले

वित्त अधिकारी के हस्ताक्षर

साक्षी

1.....

2.....

परिशिष्ट 'ख'

(परिनियम 9.02 और 9.03 देखिए)

अध्यापकों के लिए आचार संहिता चूंकि अपने कर्तव्य के प्रति सजग और नवयुवकों का चरित्र-निर्माण करने और ज्ञान बौद्धिक स्वतंत्रता एवं सामाजिक प्रगति की अभिवृद्धि करने के लिए न्यस्त एक अध्यापक से अपेक्षा की जाती है कि वह समर्पण की भावना, नैतिक सत्यनिष्ठा एवं शुद्ध विचार, वाणी एवं कर्म के माध्यम से उपदेश से अधिक आदर्श उदाहरण द्वारा नैतिक नेतृत्व की भूमिका का निर्वहन कर सकता है;

अतएव अब, उसके कर्तव्यों की गरिमा के अनुरूप एतद्वारा यह आचार संहिता उसके द्वारा सत्यनिष्ठा एवं सद्भावनापूर्वक पालन करने के लिए निर्धारित की जाती है;

1-प्रत्येक अध्यापक अपने शैक्षणिक कर्तव्यों का सम्पूर्ण सत्यनिष्ठा एवं श्रद्धापूर्वक सम्पादन करेगा।

2-कोई भी अध्यापक छात्रों के मूल्यांकन में न कोई पक्षपात या पूर्वाग्रह प्रदर्शित करेगा और न ही उनका उत्पीड़न करेगा।

3-कोई भी अध्यापक किसी छात्र को दूसरे छात्र के विरुद्ध या अपने सहकर्मियों या विश्वविद्यालय के विरुद्ध दुप्रेरित नहीं करेगा।

4-कोई भी अध्यापक जाति, पंथ, सम्प्रदाय, धर्म, लिंग, राष्ट्रीयता या भाषा के आधार पर किसी छात्र के प्रति भेदभाव नहीं बरतोगा वह अपने सहकर्मियों, अधीनस्थों और छात्रों के मध्य ऐसी प्रवृत्तियों को हतोत्साहित भी करेगा और अपनी सम्भावनाओं के सुधार के लिए उपर्युक्त विचारधाराओं को अपनाने का प्रयास करेगा।

5-कोई भी अध्यापक यथास्थिति, विश्वविद्यालय या महाविद्यालय के समुचित निकायों और कृत्यकारियों के निर्णयों का पालन करने से इंकार नहीं करेगा।

6-कोई भी अध्यापक, यथास्थिति, विश्वविद्यालय या महाविद्यालय के कार्यकलापों से सम्बन्धित कोई गोपनीय सूचना उस सम्बन्ध में अप्राधिकृत किसी व्यक्ति को प्रकट नहीं करेगा।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 507/LXV-3-2009
Dated July 08, 2009:

No. 507/LXV-3-2009

Dated Lucknow, July 08, 2009

IN exercise of powers under sub-section (1) of section 32 of Dr. Shankuntala Misra Rehabilitation University (For Differently Abled) Act, 2009 (U.P. Act no. 1 of 2009) the State Government of Uttar Pradesh hereby make as follows the First Statutes of the Dr. Shankuntala Misra Rehabilitation University (For Differently Abled)

THE DR. SHAKUNTALA MISRA REHABILITATION UNIVERSITY (FOR DIFFERENTLY ABLED) FIRST STATUTES, 2009

CHAPTER-1

PRELIMINARY

1.01. (1) These Statutes may be called the Dr. Shakuntala Misra Rehabilitation University (For Differently Abled) First Statutes, 2009

Short title and
Commencement

(2) They shall come into force with immediate effect.

1.02 (1) In these Statutes, unless the context otherwise requires,—

Definitions

(a) "Act" means the Dr. Shakuntala Misra Rehabilitation University (For Differently Abled) Act, 2009 as amended from time to time.

(b) "age of an employee" means the period calculated from the date of birth of an employee as mentioned in his High School Certificate or any other examination recognized as equivalent thereto to the required date.

(c) "Employee" means an employee of the University.

(d) "Section" means a section of the Act.

(2) Words and expressions used in these Statutes but not defined shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

CHAPTER-II

THE VICE-CHANCELLOR

Emoluments
and other
conditions of
service of the
Vice-Chancellor

2.01. The emoluments and other terms and conditions of service of the Vice-Chancellor shall be such as may be determined by the State Government; or General Council subject to the approval of the State Government from time to time:

Provided that if the Vice-Chancellor assumes office after retiring or superannuation from a pensionable post, his salary and allowance shall be reduced by the gross amount of his pension prior to commutation:

Provided further that if he assumes office after retiring or on superannuation from a non-pensionable post, his salary and allowances shall be equivalent to the retirement benefits availed of by him on superannuation:

Provided also that where such Vice-Chancellor had been a member of any pension scheme, the University shall make the necessary contribution to such scheme.

2.02. The Vice-Chancellor shall be entitled to travelling allowance at such rates as may be fixed by the Executive Council.

2.03. The Vice-Chancellor shall be entitled to leave on full pay at the rate of thirty days in a calendar year and the leave shall be credited to his account in advance in two half yearly installments of fifteen days each on the 1st day of January and July every year:

Provided that if the Vice-Chancellor assumes or relinquishes charge of the office during the currency of a half year the leave shall be credited proportionately at the rate of two and-a-half days for each completed month of service.

2.04. The Vice-Chancellor shall also be entitled to half pay leave at the rate of twenty days in a calendar year. This half pay leave may also be availed of as commuted leave on full pay on medical ground. When commuted leave is availed, twice the amount of half pay leave shall be debited against half pay leave due.

2.05. The Vice-Chancellor shall be entitled to such terminal benefits and allowances as may be fixed by the Executive Council with the approval of the State Government from time to time.

2.06. If the Vice-Chancellor is unable to perform his duties owing to illness or any other cause, the duties of the Vice-Chancellor shall be discharged by such person as may be authorized by the State Government.

Other powers
and functions of
the
Vice-Chancellor

2.07 The Vice-Chancellor shall-

(a) be *ex-officio* Chairman of the Executive Council, the Academic Council, finance Committee and shall in the absence of the Visitor, preside at the convocations.

(b) be entitled to be present at, and address, any meeting of any authority or other body of the University, but shall not be entitled to vote unless he is a member of such authority or body.

(c) exercise control over the affairs of the University and shall give effect to the decisions of all the authorities of the University.

(d) have the power to convene or cause to be convened the meeting of the Executive Council, the Academic Council and the Finance Committee.

2.08. The Vice-Chancellor may be delegate any of his powers to such person as he deems fit.

CHAPTER-III THE FINANCE OFFICER

3.01. The Finance Officer shall be appointed by the State Government from amongst the officers of Uttar Pradesh Finance and Accounts Services, and the terms and conditions of services of the Finance Officer shall be governed according to the concerned service rules of the State Government.

Terms and
conditions of
service of the
Finance Officer

3.02. The Finance Officer shall be subject to disciplinary control of the State Government. However, the Executive Council may report irregularities or recommend action against the Finance Officer to the State Government after making appropriate inquiry.

3.03. The Finance Officer shall be *ex-officio* Secretary of the Finance Committee, but shall not be deemed to be a Member of such Committee.

3.04. Subject to the control of the Executive Council, the Finance Officer shall:-

Other Powers and
functions of
Finance Officer

(a) hold and manage the property and investments of the University and endowed property;

(b) ensure that the limits fixed by the Executive Council for recurring and non-recurring expenditure for a year are not exceeded and that all moneys are expended on the purpose for which they are granted or allotted.

(c) be responsible for the preparation of annual accounts and the budget of the University and for their presentation to the Executive Council;

(d) keep a constant watch on the State of the Cash and bank balances and on the State of investment;

(e) watch the progress of the collection of revenue and advise on the methods of collection employed;

(f) bring to the notice of the Vice-Chancellor unauthorized expenditure and other financial irregularities and suggest disciplinary action against persons at fault; and;

(g) call for from any office, Centre, Laboratory or Institution maintained by the University any information or returns that he may consider necessary for the performance of his duties.

3.05. Any receipt given by the Finance Officer or the person or persons duly authorised in this behalf by the Executive Council for any money payable to the University shall be sufficient discharge for payment of such money.

CHAPTER-IV THE REGISTRAR

4.01. (1) The Registrar shall be appointed by the State Government from amongst the suitable officers of Uttar Pradesh Handicapped Welfare Department Gazetted Officer Services who fulfil the experience and qualifications as defined under sub-section 1 of section 30 of the Act, and the terms and conditions of services of the Registrar shall be governed according to the Uttar Pradesh Handicapped Welfare Department Gazetted Officers Service Rules, 2002 as amended from time to time.

Terms and
conditions of the
service of the
Registrar

(2) The Registrar shall be subject to disciplinary control of the State Government. However, the Executive Council may report irregularities or recommend action against the Registrar to the State Government after making appropriate inquiry.

(3) The emoluments and other benefits of service of the Registrar shall be such as may be determined by the State Government.

4.02. The Registrar shall have power,—

(a) of disciplinary control over all employees of the University other than the teachers, officers of the University, and may suspend them pending inquiry, he may administer warnings to them or may impose penalty of censure or withholding of increment of any such employee. He shall, however, order an enquiry and provide an opportunity of showing cause against such as employee:

Provided that the Registrar shall inform the Officer or the Authority under which such employee is working;

(b) to arrange for and superintend the examinations of the University in accordance with the manner prescribed;

(c) to represent the University in suits or proceedings by or against the University, sign powers-of-attorney and verify pleadings or depute his representative for the purpose; and

(d) to perform such other duties as may be specified in the Statutes, or as may be required, from time to time, by the Executive Council or the Vice-Chancellor or authorities of the University.

CHAPTER-V

OTHER OFFICERS OF THE UNIVERSITY

The Deans of
Faculties

5.01. Every Dean of a Faculty shall be appointed by the Vice-Chancellor from amongst the Professors in the Departments of the Faculty for a period of three years and he shall be eligible for re-appointment :

Provided that if there is no professor in the Departments of the Faculty the Dean may be appointed from amongst the readers :

Provided also that a Dean on attaining the age of sixty-two years shall cease to hold office as such :

Provided also that if at any time there is no Dean in a Faculty the Vice-Chancellor, or a Dean authorised by the Vice-Chancellor, in this behalf, shall exercise the powers of the Dean of the Faculty.

5.02. When the office of the Dean is vacant or when the Dean is, by reason of illness, absence or any other cause, unable to perform duties of his office, the duties of the office shall be performed by such person as the Vice-Chancellor may authorize.

5.03. The Dean shall be the Head of the Faculty and shall be responsible for the conduct and maintenance of the standards of teaching and research in the Faculty and shall have such other functions as may be prescribed.

5.04. The Dean shall have the right to be present and to speak at any meeting of the Boards of Studies or Committees of the Faculty, as the case may be, but shall not have the right to vote thereat unless he is a member thereof.

Heads of
departments

5.05. In the case of Departments, which have more than one Professor, the Head of the Department shall be appointed by the Executive Council on the recommendation of the Vice-Chancellor from amongst the Professors:

Provided, where there is only one Professor in the Department, he shall be the Head of the Department.

5.06. In the case of Departments where there is no Professor, the Executive Council may appoint a Reader as the Head of the Department on the recommendation of the Vice-Chancellor:

Provided that it shall be open to a Professor or Reader to decline the offer of appointment as the Head of the Department.

5.07. A person appointed as the Head of the Department shall hold office as such for a period of three years and shall be eligible for re-appointment.

5.08. A Head of a Department may resign from office at any time during his tenure of office.

5.09. A Head of a Department shall perform such duties as may be prescribed.

5.10. The Proctor shall be appointed by the Executive Council on the recommendation of the Vice-Chancellor from amongst the teachers of the university and shall exercise such powers and perform such duties as may be assigned to him by the Vice-Chancellor. Proctor

5.11. The Proctor shall hold office for a term as specified by the Executive Council and shall be eligible for re-appointment.

5.12. The Proctor shall discharge his duties in addition to his duties as a teacher.

5.13. The Proctor shall be eligible for such honourarium as may be determined by the Vice-Chancellor.

5.14. The Librarian shall be appointed by the Executive Council on the recommendation of the Selection Committee constituted for the purpose. He shall be a whole-time salaried officer of the University. Librarian

5.15. The Librarian shall exercise such powers and perform such functions and shall have such emoluments, as may be determined by the State Government of Executive Council subject to the approval of the State Government from time to time. Other conditions of the services of the librarian shall be such as determined by the Executive Council.

CHAPTER-VI

AUTHORITIES OF THE UNIVERSITY

6.01. Every meetings of the Executive Council shall be held on such date and at such time and place as may be fixed by the Vice-Chancellor. Meetings of the Executive Council

6.02. Notice of an ordinary meeting of the Executive Council shall be dispatched to all members thereof at least twenty-one days before the meeting. The Agenda of the meeting shall be dispatched at least ten days in advance of the meeting.

6.03. In case of an emergency, a special meeting of the Executive Council may be called by the Vice-Chancellor at a short notice.

6.04. The Academic Council shall, in addition to all other powers vested in the Act, have the following powers, namely:- Other powers and functions of the Academic Council

(a) to delegate any of its powers to the Vice-chancellor, the Deans, the Registrar or the Finance Officer or authority of the University or to a committee appointed by it as it may deem fit;

(b) to provide for inviting Writer in residence and determine the terms and conditions of such invitations;

(c) to provide for the appointment of Visiting Professors, Emeritus Professors, Consultants and Scholars and determine the terms and conditions of such appointments;

(d) to exercise general supervision over the academic policies of the University and to give directions regarding methods of instructions, co-ordinating teaching among the institutions and evaluation of research or improvement in academic standards;

(e) to bring about inter-School co-ordination, to establish or appoint committees or boards, for taking up projects on an inter-School basis;

(f) to consider matters of general academic interest either suo motu or on a reference by a School or the Executive Council and to take appropriate Action thereon.

6.05. All proposals relating to creation of post, and those items which have not been included in the Budget, shall be examined by the Finance Committee for consideration and comments and thereafter submitted to the Executive Council.

6.06. The Finance Committee shall recommend limits for the, total recurring expenditure and the total non-recurring expenditure for the year, based on the income and resources of the University (Which, in the case of productive works, may include the proceeds of loans).

CHAPTER-VII

OTHER AUTHORITIES OF THE UNIVERSITY

Schools of studies and departments

7.01. The University shall have such Schools of Studies as described in State Government Order No. 2893/65-2-2008-57(Vividh)-2008, Viklang Kalyan Anubhag-2, dated December 30, 2008 as contained in Annexure-A of these Statutes. Further enhancement in the number of schools of studies may be done by the State Government of the Executive Council subject to approval of the State Government.

7.02. Every School shall have a School Board and the members of the first School Board shall be nominated by the Executive Council and shall hold office for a period of three years.

7.03. The powers and functions of a School Board shall be determined by the Academic Council.

7.04. The conduct of the meetings of a School Board and the quorum required for such meetings shall be determined by the Academic Council.

7.05. Each School shall consist of such Departments as may be assigned to it by the Academic Council:

Provided that the Executive Council may, on the recommendations of the Academic Council establish Centres of Studies and such teachers of the University may be assigned to them as the Executive Council may consider necessary.

7.06. Each Department shall consist of:

(i) Dean of the School;

(ii) Honorary Professors, if any, attached to the Department;

(iii) Teachers of the Department;

(iv) Persons conducting research in the Department;

(v) such other persons as may be members of the Departments in accordance with the provisions of the Act or Statutes.

Board of studies

7.07. Each Department shall have a Board of Studies.

7.08. The constitution of the Board of Studies and the term of office of its members shall be determined by the Academic Council.

7.09. Subject to the overall control and supervision of the Academic Council, the functions of the Board of Studies shall be to approve subjects for research for various degrees and other requirements of research degrees and to recommend to the concerned School Board in the manner prescribed by the Academic Council:—

(a) Courses of studies and appointment of examiners for post-graduate courses, but excluding research degrees;

(b) appointment of supervisors of research; and

(c) measures for the improvement of the standard of post-graduate teaching and research;

Provided that the above functions of a Board of studies shall, during the period of three years immediately after the commencement of the Act, be performed by the Department.

CHAPTER-VIII

APPOINTMENT & PROMOTION OF TEACHERS

8.01 The qualifications required for the appointment and career advancement of teachers in the University other than the Faculty of the Special Education shall be as per the qualifications prescribed by the University Grant Commission (Minimum Qualifications Required for the Appointment and Career Advancement of Teachers in Universities and Institutions Affiliated to it) regulations, 2000 as amended from time to time.

Regular
appointment

8.02 The qualification for appointment Teachers, Special Educators, Trainers, Therapists and other Specialists in the Faculty of Special Education of the University shall be such as may be from time to time prescribed by the Rehabilitation Council of India.

8.03 The regulations or guidelines of Rehabilitation Council of India shall be applicable to the service conditions, career advancements and qualifications of teaching and other posts of the faculty of Special Education of the University.

8.04 Notwithstanding anything contained in statutes 8.01, 8.02, 8.03, the Executive Council may invite a person of high academic distinctions and professional attainments to accept a post of Professor or Reader or any other academic post in the University, as the case may be, on such terms and conditions as it deems fit, and on the person agreeing to do so, appoint him to the post.

Special mode of
appointment

8.05 The Executive Council may appoint a teacher or any academic staff working in any other University or organisation for undertaking a joint project in accordance with the manner laid down in the Memorandum of understanding executed between the parties.

8.06 The Executive Council may appoint a person selected in accordance with the procedure laid down in this Chapter, for a fixed tenure on such terms and conditions as it deems fit.

Appointment for
a fixed tenure

CHAPTER-IX

CONDITIONS OF SERVICE OF TEACHERS OF UNIVERSITY

9.01 Except in the case of an appointment in a vacancy caused by the grant of leave to a teacher for a period not exceeding 10 months, teachers of the University shall be appointed on a written contract in the form set out in Appendix 'A'.

9.02 A teacher of the University shall at all times maintain absolute integrity and devotion to duty and shall observe the code of conduct as set out in Appendix B, which shall form part of the agreement to be signed by the teacher at the time of appointment.

9.03 A breach of any of the provisions of the Code of conduct as set out in Appendix B shall be deemed to be misconduct within the meaning of clause (1) of Statute 9.04.

9.04 (1) A teacher of the University may be dismissed or removed or his services terminated on one or more of the following grounds.

- (a) wilful neglect of duty;
- (b) misconduct;
- (c) breach of any of the terms of contract of service;
- (d) dishonesty connected with the University Examinations;
- (e) scandalous conduct or conviction for an offence involving moral turpitude;
- (f) physical or mental unfitness;
- (g) incompetence;
- abolition of the post.

(2) Not less than three months' notice (or where notice is given after the month of October then three months notice or notice ending with the close of the session, whichever is longer) shall be given on either side for terminating the contract, or in lieu of such notice, salary for three months (or such longer period as aforesaid) shall be paid;

Provided that where the University dismisses or removes or terminates the services of a teacher of the University under clause (1), or when the teacher terminates the contract for breach of any of its terms by the University, no such notice shall be necessary:

Provided further that the parties will be free to waive the condition of notice in whole or in part by mutual agreement.

9.05 Except as otherwise provided by Statutes, no salaried officer and teacher of the University shall be appointed except under a written contract which shall be consistent with the provisions of the Act, the Statutes and the Ordinances.

9.06 The original contract of appointment referred to in Statute 9.06 shall be lodged with the Registrar for registration within three months of the date of appointment, and a copy thereof shall be furnished to the officer or teacher concerned.

9.07 (1) No order dismissing, removing or terminating the services of a teacher of the University on any ground mentioned in clause (1) of Statute 9.04 (except in the case of a conviction for an offence involving moral turpitude or of abolition of post), shall be passed unless a charge has been framed against the teacher and communicated to him with a statement of the grounds on which it is proposed to take action and he has been given adequate opportunity:—

- a- of submitting a written statement of his defence;
- b- of being heard in person, if he so chooses; and
- c- of calling and examining such witnesses in his defence as he may wish;

Provided that the Executive Council or an officer authorised by it to conduct the enquiry may, for sufficient reasons to be recorded in writing refuse to call any witness.

(2) The Executive Council may, at any time ordinarily within two months from the date of the Inquiry Officer's report pass a resolution dismissing or removing the teacher concerned from service or terminating his services mentioning the grounds of such dismissal, removal or termination.

(3) The resolution shall forthwith be communicated to the teacher concerned.

(4) The Executive Council may, instead of dismissing, removing or terminating the services of the teacher, pass a resolution inflicting a lesser punishment by reducing the pay of the teacher for a specified period not exceeding three years and or by stopping increments of his salary for a specified period or may deprive the teacher of his pay during the period of his suspension, if any.

9.08 (1) The conditions regarding payment of remuneration to the teachers of the University for any duties performed in connection with nay examinations conducted by an Indian University or any body other than Public Services Commission by them shall be such as may be prescribed.

Limits of additional remunerative work permissible to teachers

(2) No teacher of the University shall at any time, hold more than one remunerative office carrying duties other than teaching or duties connected with any examination.

Explanation—The words “remunerative offices” include the offices of Warden or Superintendent of a Hall or Hostel, Proctor, Games Superintendent, Librarian and any office in the national Cadet Corps, National Sports Organisation, National Social Service Scheme and University Employment Exchange and such other alike offices.

9.09 (1) The Executive Council shall constitute, for such term as it thinks fit, a Disciplinary Committee in the University which shall consist of the Vice-Chancellor and two other persons nominated by it:

Disciplinary Committee

Provided that if the Executive Council considers it expedient, it may constitute more than one such Committees to consider different cases or classes of cases.

(2) No teacher against whom any case involving disciplinary action is pending shall serve as a member of the Disciplinary Committee dealing with the case.

(3) The Executive Council may at any stage transfer any case from one Disciplinary Committee to another Disciplinary Committee the functions.

(4) The functions of the Disciplinary Committee shall be as follows :—

(a) to decide any appeal preferred by an employee of the University;

(b) to hold inquiry into cases involving disciplinary action against a teacher or the Librarian of the University;

(c) to recommend suspension of any employee referred to in sub-clause (b) above pending or in contemplation of inquiry against such employee.

(d) to exercise such other powers and perform such other functions as may, from time to time, be entrusted to it by the Executive Council.

(5) In case of difference of opinion among members of the Committee, the decision of the majority shall prevail.

(6) The decision or the report of the Disciplinary Committee shall be laid before the Executive Council as early as possible, to enable the Executive Council to take its decision in the matter.

9.10 (1) The Disciplinary Committee referred to in Statute 9.09 may recommend the suspension of a teacher during the pendency or in contemplation of an inquiry into charges against him, on the grounds mentioned in sub-clauses (a) to (e) of clause (1) of Statute 9.04. The order of suspension if passed in contemplation of any inquiry shall cease at the end of four weeks of its operation unless the teachers has in the meantime been communicated the charge or charges on which the inquiry was contemplated.

(2) A teacher of the University shall be deemed to have been placed under suspension—

(a) with effect from the date of his conviction, if in the event of a conviction for an offence, he is sentenced to a term of imprisonment exceeding 48 hours and is not forthwith dismissed or removed consequent to such conviction;

(b) in any other case, for the duration of his detention, if he is detained in custody, whether the detention is for any criminal charge or otherwise.

Explanation—The Period of 48 hours referred to in sub-clause (a) of this clause, shall be computed from the commencement of the imprisonment after the conviction and for this purpose, intermittent periods imprisonment, if any, shall be taken into account.

(3) Where the order of dismissal or removal from service of a teacher of the University is set aside or declared or rendered void in consequence of any proceedings under the Act or these Statutes or otherwise, and the appropriate officer, authority or body of the University decided to hold a further inquiry against him, then if the teacher was under suspension immediately before such dismissal or removal, the suspension order shall be deemed to have continued in force on and from the date of the original order of dismissal or removal.

(4) During the period of his suspension, the teacher of the University shall be entitled to get subsistence allowance in accordance with the provisions of Chapter VIII of Part II of the U.P. Government's Financial Hand Book, Volume II (as amended from time to time) which shall *mutatis mutandis* apply.

9.11 In computing the maximum period for purposes of clause (2) of Statute 9.07 or clause (1) of Statute 9.08, the period during which a stay order from any court of law in operations, shall be excluded.

9.12 No teacher of the University shall draw for any duties performed in connection with any examination of the University in any calendar year, any remuneration in excess of one-sixth of the aggregate of his salary in that calendar year or fifty thousand rupees, whichever is less.

9.13 Notwithstanding anything contained in these Statutes—

(i) a teacher of the University who is a member of Parliament or State Legislature shall not, throughout the term of his membership, hold any administrative or remunerative office in the University;

(ii) if a teacher of the University is holding any administrative or remunerative office in the University from before the date of his election or nomination as a Member of Parliament or the State Legislature, then he shall cease to hold such office with effect from the date of such election or nomination or with effect from the commencement of these Statutes, whichever is later;

(iii) a teacher of the University who is elected, or nominated to Parliament or the State Legislature, shall not be required to resign or to take leave from the University for the duration of his membership or, except for attending the meeting of any House or Committee thereof;

Explanation—The membership of any authority or body of the University or the Deanship of a faculty or the Principalship of any college shall not be deemed to be an administrative office for the purposes of this Statute.

The Executive Council Shall fix a minimum number of days during which such teacher shall be available in the University for his academic duties.

Provided that where a teacher of the University is not so available because of the sessions of the Parliament or the State Legislature, he shall be treated on such leave, as may be due to him, and if no leave is due, then on leave without pay.

9.15 Leave shall be of the following categories:

- (a) casual leave;
- (b) privilege leave;
- (c) sick leave;
- (d) duty leave;
- (e) long term leave;
- (f) extraordinary leave;
- (g) maternity leave;

9.16 Casual leave shall be on full pay for not more than seven days in a month or 14 days in a session and shall not accumulate. It will not ordinarily be combined with holidays, but in special circumstances the Vice-Chancellor may waive this condition for reasons to be recorded in writing.

9.17 Privilege leave shall be on full pay for ten working days in a session and may accumulate upto 60 working days.

9.18 Sick leave shall be on the difference between the current rate of pay and the total cost of the leave arrangements, if any, with a minimum of half pay, for one month in a session and shall not accumulate.

9.19 Duty leave up to 15 working days shall be on full pay for attending meetings of any of the University bodies, *ad hoc* Committee and Conferences of which a teacher may be *ex-officio* member or to which he may have been nominated by the University and for conducting examinations of the University.

9.20 Long term leave, which shall be on half pay for one month in a session, and may accumulate up to twelve months, may be granted for reasons such as prolonged illness, urgent affairs, approved studies or preparatory to retirement:

Provided that in case of prolonged illness, the leave may, at the discretion of the Executive Council, be on full pay for a period not exceeding six months, such leave can be granted only after five years of continuous service except in the case of prolonged illness:

Provided further that such teachers as are selected for 'Teacher Fellowships' by the University Grants Commission or for training or study in a foreign country under any other scheme sponsored by the commission, may be granted leave on full pay for the duration of such fellowships, training or study on such terms and conditions as may be specified by the State Government.

9.21 Extraordinary leave shall be without pay. It may granted for such reasons as the Executive Council may deem fit for a period not exceeding three years initially but may be extended for a period not exceeding two years under special circumstances.

Explanation-1. A teacher who holds permanent post or who being permanent on a lower post has been officiating on a higher post for more than three years, shall subject to the concurrence of the State Government, be entitled to count the period of extraordinary leave sanctioned for undertaking higher scientific and technical studies towards his increment in the time scale.

2. Subject to the concurrence of the State Government, a teacher who holds a temporary post and has been sanctioned such leave shall, on return from such leave be entitled to get his pay fixed in accordance with Fundamental rule 27 of the Financial Hand Book, Volume II to IV at such stage in the time scale as he would have got had he not proceeded on such leave provided that the study for which such leave was sanctioned was in the public interest.

9.22 Maternity leave on full pay to female teachers for a period which may extend up to six months from the date of its commencement or to twelve weeks from the date of confinement, whichever is earlier.

Provided that such leave shall not be granted for more than two times in the entire service of the teacher.

9.23 Leave cannot be claimed as a matter of right. If the exigencies of the occasion demand, the sanctioning authority may refuse leave of any kind and may even cancel the leave already granted.

9.24 Sick leave or long-term leave on account of prolonged illness can be granted on the production of a medical certificate from a registered medical practitioner. In case of such leave exceeding 14 days the Vice-Chancellor shall be competent to call for a second certificate of a Registered Medical Practitioner approved by him.

9.25 The authority competent to grant leave will be the Vice-Chancellor except in the case of long term leave and extraordinary leave, which will be granted by the Executive Council.

CHAPTER-X

CONDITIONS OF SERVICE OF NON-TEACHING STAFF

10.01 The qualifications required and procedure to be followed for the appointment on non-teaching staff of group "C" in the University shall be as per the provisions of Uttar Pradesh Direct Recruitment Rules, 2002 (Outside the perview of Public Service commission) for group "C" post as amended from time to time:

Provided that the post which are either not covered under the above rule or which are of senior level post, the appointment on such post shall be made either by deputation or transfer of service as provided in G.O. no. 2893/65-2-2008-57(vividh)-2008, dated December 30, 2008 of State Government regarding the creation of posts for the University:

Provided further that where the appropriate candidates are not available and eligible candidates are willing to render their full services in the University the appointment on such post of senior level shall be made directly by the Registrar from amongst the candidates who fulfill the criteria of pay scale and seniority as contained in G.O. No. 2893/65-2-2008-57(vividh)/2008 dt. 30.12.08.

Provided also that the appointment on the posts of senior level shall be made only till the candidates on the posts of junior level eligible for promotion to such posts are not available.

10.02 The seniority of the persons appointed directly or by deputation or transfer of service will be determined by the date of joining their services in the University:

Provided that where the appointment has been made for more than one candidate through a joint select list, the seniority of the candidates shall be determined by their merit in the selection list.

The services of candidates selected on senior posts shall be taken into account for all the facilities and pay, they are getting in their original department.

10.03 The career advancement and promotional avenues of the employees of group "C" shall be such as may be determined by the Executive Council through regulations from time to time.

10.04 All the employees of the University, other than the teachers and other academic staff of the University, shall, in the absence of any provision be governed by the terms and conditions of service and code of conduct as may be determined from time to time by the Executive Council.

Seniority List

10.05 Whenever, in accordance with the Statutes any person is to hold an office or be a member of an authority of the University by rotation according to seniority, such seniority shall be determined according to the length of continuous service of such person in his grade, and in accordance with such other principles as the Executive Council may, from time to time, frame.

10.06 It shall be the duty of the Registrar to prepare and maintain, in respect of each class of persons to whom the provisions of these Statutes apply, a complete and upto-date seniority list in accordance with the provision of Statute 10.05

10.07 If two or more persons have equal length of continuous service in a particular grade or the relative seniority of any person or persons is otherwise in doubt, the Registrar may, on his own motion and shall, at the request of any such person, submit the matter to the Executive Council whose decision thereon shall be final.

10.08 Where there is an allegation of misconduct against a teacher, a member of the academic staff or other employee of the University, the Vice-Chancellor, in the case of the teacher or member of the academic staff, and the Registrar who is an authority competent to appoint (hereinafter referred to as the appointing authority) in the case of other employee, may, by order in writing, place such teacher, member of the academic staff or other employee, as the case may be, under suspension and shall forthwith report to the Executive Council the circumstances in which the order was made:

Removal of
Employees of the
University

Provided that the Executive Council may, if it is of the opinion that the circumstances of the case do not warrant the suspension of the teacher or a member of the academic staff, revoke such order.

10.09 Notwithstanding anything contained in the terms of the contract of appointment or of any other terms and conditions of service of the employees, the Executive Council in respect of teachers and other academic staff, and the appointing authority, in respect of other employees, shall have the power to remove or dismiss a teacher or a member of the academic staff or as the case may be, other employee on ground of misconduct.

10.10 Save as aforesaid, the Executive Council or as the case may be, the appointing authority shall not be entitled to remove or dismiss a teacher, member of the academic staff or other employee except for a good cause and after giving three months notice or on payment of three months salary in lieu thereof.

10.11 No teacher, member of the academic staff or other employee shall be removed or dismissed unless he has been given a reasonable opportunity of showing cause against the order proposed to be taken in regard to him.

10.12 The removal or dismissal of a teacher, member of the academic staff or other employee shall take effect from the date on which the order of removal or dismissal is made:

Provided that where the teacher, member of the academic staff or other employee is under suspension at the time of his removal or dismissal, such removal or dismissal shall take effect from the date on which he was placed under suspension.

10.13 Notwithstanding anything contained in the foregoing provisions of this Statutes a teacher, member of the academic staff or other employee may resign:-

(a) if he is a permanent employee, only after giving three months notice in writing to the Executive Council or the appointing authority, as the case may be, or by paying three months salary in lieu thereof;

(b) if he is not a permanent employee, only after giving one months notice in writing to the Executive Council or, as the case may be, the appointing authority or by paying one months' salary in lieu thereof:

Provided that such resignation shall take effect only on the date on which the resignation is accepted by the Executive Council or the appointing authority, as the case may be.

CHAPTER-XI RESERVATION IN ADMISSIONS

11.01 Subject to the provisions of sub-section (1) and (2) of Section 17 of the Act, with effect from the academic session of 2009-10, following percentages of seats in any course of study in a University, Institute, Constituent College, Affiliated college or Associated college shall be reserved for admission for the persons belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes of citizens, namely :-

Scheduled Castes	Twenty-one per cent
Scheduled Tribes	Two per cent
Other Backward Classes of citizens	Twenty-seven per cent:

Provided that not less than Fifty per cent seats shall be reserved for persons with disabilities in admissions to the various courses out of which Fifty per cent seats shall be reserved for visually Handicapped students. The candidate selected for admission on the basis of such reservation shall be placed in the appropriate category to which he belongs. For example, if a candidate, selected for admission in any course of study on the basis of above reservation belongs to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes or Other Backward Classes, he will be placed in respective category to which he belongs by making necessary adjustments and similarly, if he belongs to general category, he will be placed in that category after making necessary adjustment:

Provided further that the seats, if any, reserved under any other law for the time being in force, or under any order of the Government of India, for the students belonging to any other State, shall not be included in the total number of seats for the purpose of computing the percentages under this Statute.

Explanations—For the purposes of this Statute the term general category, means the category other than those referred to in clause (1).

11.02 If eligible persons belonging to the Scheduled Tribes are not available to fill the seat reserved for them under clause (1) of Statute 10.01, such seat shall be filled by persons belonging to the Scheduled Castes.

11.03 Where due to non-availability of eligible candidates any of the seats reserved under clause (1) of Statute 10.01 remains unfilled, it shall be filled on merit from amongst the candidates of the category under which the eligible candidates are available.

11.04 The teacher, belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes or Other Backward Classes of citizens or teacher with disabilities shall, so far as possible, be given representation in the admission committees to ensure fair admissions.

CHAPTER-XII MISCELLANEOUS PROVISIONS

Committees

12.01 Any authority of the University may appoint as many standing or special Committees as it may deem fit, and may appoint to such committees persons who are not members of such authority.

12.02 Any such Committee appointed under statute may deal with any subject delegated to it subject to subsequent confirmation by the authority.

Honorary
degrees

12.03 The Executive Council may, on the recommendation of the Academic Council and by a resolution passed by a majority of not less than two-thirds of the members present and voting, make proposals to the General Council for the conferment of honorary degrees.

Maintenance of
discipline among
students of the
University

12.04 The Vice-Chancellor may delegate all or any of his powers, as he deems proper to a Proctor and to such other officers as he may specify in this behalf.

12.05 Without prejudice to the generality of his powers relating to the maintenance of discipline and taking such action, as may seem to him appropriate for the maintenance of discipline, the Vice-Chancellor may, in exercise of his powers, by order, direct that any student or students be expelled, or rusticated, for a specified period, or be not admitted to a course or courses of study in a Institution or a Department of the University for stated period, or be punished with fine for an amount to be specified in the order, or be debarred from taking an examination or examinations conducted by the University, Institution or Department or a School for one or more years, or that the results of the student or students concerned in the examination or examinations in which he or they have appeared be cancelled.

12.06 The Heads of Institutions, Deans of Schools of Studies and Heads of teaching Departments in the University shall have the authority to exercise all such disciplinary powers over the students in their respective Institutions, Schools and teaching Departments in the University as may be necessary for the proper conduct of such Institutions, Schools and teaching Departments in the University.

12.07 Without prejudice to the powers of the Vice-Chancellor, and other persons specified in Statutes 12.05 detailed procedures of discipline and proper conduct shall be made by the University. The principals of Institutions, Deans of Schools of Studies and Heads of teaching Departments in the University may also make the supplementary provisions as they deem necessary for the aforesaid purposes

12.08 Convocations of the University for the conferring of degrees or for other purposes shall be held at such time and place as may be determined by the Executive council.

Convocations

12.09 Where no provision is made for a President or Chairman to preside over a meeting of any authority of the University or any Committee of such authority or when the President or Chairman so provided for is absent, the members present shall elect one from among themselves to preside at such meeting.

Presiding of meetings

12.10 Any member, other than an *ex-officio* member, of the General Council, Executive Council, the Academic Council or any other authority of the University or any committee of such authority may resign by letter addressed to the Registrar and the resignation shall take effect as soon as it is accepted by the Registrar.

Resignation

12.11 (1) A person shall be disqualified for being chosen as, and for being, a member of any of the authorities of the University :-

Disqualifications

(i.) if he is of unsound mind;

(ii.) if he is an undischarged insolvent;

(iii.) if he has been convicted by a court of law of an offence involving moral turpitude and sentenced in respect thereof to imprisonment for not less than six months.

(2) If any question arises as to whether a person is or had been subjected to any of the disqualifications mentioned in clause (1), the question shall be referred to the General Council and its decision shall be final and no suit or other proceeding shall lie in any civil court against such decision.

12.12 Notwithstanding anything contained in these Regulations, a person who is not a Citizen of India shall not be eligible to become and for being an officer of the University or a member of any authority of the University.

Condition for membership and office

12.13 Subject to the provisions of the Act and these Statutes any officer or authority of the University may delegate his or its powers to any other officer or authority or person under his or its respective control and subject to the condition that overall

Delegation of power

responsibility for the exercise of the powers so delegated shall continue to vest in the officer or authority delegating such powers.

By order,

SHAILESH KRISHNA,

Pramukh Sachiv.

APPENDIX 'A'

(See Statute 16.01)

Form of Agreement with Members of Teaching Staff of the University

AGREEMENT made this day of 20 between

Sri of the first part and the (hereinafter called "the University")
of the other part :-

IT IS HEREBY AGREED as follows :-

1. That the University hereby appoints Shri/Srimati/Km to be a teacher of the University with effect from of his/her office, and the party of the first part, hereby accepts the engagement, and undertakes to take such part. and perform such duties in the University as may be required of him/her, including the management and protection of the University property or funds, the organization of instruction, the teaching formal or informal and the examination of students, the maintenance of discipline and the promotion of students' welfare in connection with any curricular or residential activities and perform such extra curricular duties of the University as may be entrusted to him/her and to submit himself/herself to the officers under whom he/she is for the time being placed by the authorities of the University and shall abide by an conform to the Code of Conduct for teachers laid down by the University as amended from time to time:

PROVIDED that the teacher shall be on probation for a period of one year in the first instance and the Executive Council may in its discretion extend the period of probation by one year.

2. That the party of the first part shall retire in accordance with the provisions of the Statutes of the University.
3. The scale of pay attached to the post of teacher to which the party of the first part is appointed shall be The party of the first part shall from the date he/she takes charge of his/her said duties be granted pay at the rate of Rs. per mensem in the aforesaid scale and shall receive pay in the succeeding stages in the scale unless the annual increment it withheld in pursuance of the provisions of the Statutes:

Provided that where an efficiency bar is prescribed in the time scale, the increment next above the bar shall not be given to the party of the first part without the specific sanction of the authority empowered to withhold increment.

4. That the party of the first part shall obey, and to the best of his/her ability carry out the lawful directions of any officer, authority or body of the University, to whose authority he/she may, while this agreement is in force, is subject under the provisions of the said Act, or under any Statutes, Ordinances or Regulations made thereunder.
5. That the party of the first part hereby undertakes to abide by and conform to the Code of Conduct laid down for the teachers, by the University, as amended from time to time.
6. That on the termination of this agreement from whatever cause, the party of the first part shall deliver up to the University all books, apparatus, record and other articles belonging to the University that may be in his possession.
7. In all matters, the mutual rights and obligations of the parties hereto shall be governed by the Statutes and Ordinances of the University, for the time being in force, which shall be deemed to be incorporated herein and shall be as such a part of this agreement as if they were reproduced herein, and by the provisions of Dr. Shakuntala Misra Rehabilitation University (For Differently Abled) Act, 2009.

IN WITNESS WHEREOF the parties hereto affix their hands and seal on the day and year first above written.

Signature of the Teacher

Signature of the Finance Officer
representing the University.

Witnesses :

- 1.....
- 2.....

APPENDIX 'B'

(See Statutes 16. 02, 16. 27, 17.03 and 17.14)

Code of Conduct for Teachers

WHEREAS, a teacher, conscious of his responsibilities and the trust placed in him to mould the character of the youth and to advance knowledge, intellectual freedom and social progress, is expected to realize that he can fulfil the role of moral leadership more by example than by precept through aspiril of dedication moral integrity and purity in thought, word, and deed;

NOW, THEREFORE, in keeping with the dignity of his calling, this CODE OF CONDUCT is hereby laid down to be truly and faithfully observed:

1. Every teacher shall perform his academic duties with absolute integrity and devotion.
2. No teacher shall show any partiality or bias in the assessment of the students nor shall be practice victimization against them.
3. No teacher shall incite one student against another or against his colleagues or the *Alma Mater*.
4. No teacher shall discriminate against any pupil on grounds of caste, creed, sect, religion, sex, nationality or language. He shall also discourage such tendencies amongst his colleagues, subordinates and students, and shall not try to use the above considerations for the improvement of his own prospects.
5. No teacher shall refuse to carry out the decisions of the appropriate bodies and functionaries of the University or the college, as the case may be.
6. No teacher shall divulge any confidential information relating to the affairs of the University or college, as the case may be, to any person not authorised in respect thereof.